रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1986 (फाल्गुन 10, 1907)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1986 (PHALGUNA 10, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
शहरी बैंक विभाग
"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र,

बम्बई-400 005, दिनांक 7 फरवरी, 1986

सं० यू०बी०डी० सं० बी०आर० 80/ए-18-8-586—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (यक) के साथ पठित धारा 36क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित वेतनभोगी कर्मचारियों की सहकारी समिति उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत अब सहकारी बैंक नहीं रह गयी है।

समिति का नाम	केन्द्र शासित प्रदेश
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, स्टाफ को-आपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि०, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बिल्डिंग, चांदनी चौक, दिल्ली-6	दिल्ली

कु० आई० टी० वाज
मुख्य अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 1986

सूचना

सं० जी० एम० ओ०/001833—1. श्री जे० सी० मल्होत्रा वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी स्केल 4 ने दिनांक 15 नवम्बर, 1985 को चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में प्रबन्धक (लघु उद्योग एवं व्यवसाय) का कार्यभार संभाला।

2. श्री ओ० पी० चोपड़ा, वरिष्ठ, प्रबन्धन श्रेणी स्केल 4-ए, ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 को नई दिल्ली मुख्य शाखा में प्रबन्धक (वैयक्तिक बैंकिंग प्रभाग) का कार्यभार संभाला।

भारत भट्टाचार्य,
मुख्य महाप्रबन्धक

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
भावनगर, दिनांक 7 फरवरी, 1986

सं पी० ई० आर०/46/जी० एम०/1482—समनवर्गी बैंक्स, सामान्य विनियम-1959 के विनियम 55(1)

के अनुसरण में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, के निदेशक मंडल ने क्षेत्रीय कार्यालयों के योजना अधिकारियों, कार्मिक अधिकारियों, कार्यालय प्रबन्धकों, विकास अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रशासनिक सचिवों तथा प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबन्धकों, प्रबन्धक (सामान्य विभाग) मुख्य अधिकारी (विधि) कार्यालय प्रबन्धक तथा प्रशासनिक सचिव के पदों की श्रेणी (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत करने का निर्णय किया है अतएव दिनांक 11 जनवरी, 1964 के भारत सरकार के गजट भाग-III, अनुभाग-4 में प्रकाशित बैंक की अधिसूचना सं० 27 में श्रेणी (1) के सामने निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग बैंक की ओर से व्यक्तिगत रूप से करने हेतु उक्त अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

वि० बी० पारेख
महा प्रबन्धक (परिचालन)

स्टेट बैंक आफ मैसूर
(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)
प्रधान कार्यालय
बेंगलूर-9, दिनांक 22 फरवरी 1986

सूचना

सं० शेयरस/एजीएम/136—स्टेट बैंक आफ मैसूर के शेयरधारियों की छब्बीसवीं वार्षिक सामान्य सभी श्री चौडय्या स्मारक भवन, गायत्रीदेवी पार्क एक्सटेंशन, वय्यालीकावल, बेंगलूर में शनिवार 29 मार्च 1985 को सुबह के बाद 11.30 बजे (मानक समय) 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का वित्तीय स्थिति विवरण और लाभ-हानि लेखा तथा उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकारने हेतु सम्पन्न होगी।

पी० वी० मुब्बराव
प्रबन्ध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कानपुर-208001, दिनांक 15 जनवरी, 1986

सं० 3 सी०मी० ए० (8)/10/85-86—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	71323	श्री ए० एस० सोनी, ए० सी० ए०, फाइनेन्स एण्ड एकाउन्ट्स आफीसर, ओ० एन० जी० सी०, महसाना (गुजरात)	30-6-85

आर० एल० चौपड़ा
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 29 जनवरी, 1986

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/9/85-86—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4, एस० सी० ए०, (1)/12/75-76, दिनांक 20 मार्च, 1976, 4-एस० सी० ए०, (1)/9/79-80, दिनांक 15 मार्च, 1980, 4-एस० सी० ए० (4)/14/80-81, दिनांक 31 मार्च, 1981, 4-एस० सी० ए० (1)/8/81-82, दिनांक 17 मार्च, 1982, 4-एस० सी० ए० (1)/10/81-82, दिनांक 31 मार्च, 1982, 4-सी० ए० (1)/19/79-80, दिनांक 15-3-80, 4-एस० सी० ए० (1)/4/82-83, दिनांक 31 मार्च, 1983, 3 एस० सी० ए० (4)/4/84-85, दिनांक 22 दिसम्बर, 1984, 3एस०सी०ए० (4)/10/83-84, दिनांक 31 मार्च, 1984 और 3-ई० सी० ए० (4)/12/83-84, दिनांक 31 मार्च, 1984 के सन्दर्भ में, चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	7283	श्री पी० गोपीनाथ हेगड़े, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स, 61, वसन्था निलाया, 50 फीट रोड, भुनेश्वरनगर, बंगलौर-650 026.	16-8-85
2.	9665	श्री एस० रामाकृष्णन, एफ० सी० ए०, मैसर्स आर० सुब्रामनियन एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, 36, कृष्णास्वामी एवेन्यू, माइलापोर, मद्रास-600 004.	18-11-85
3.	10111	श्री एन० एम० रघुनाथन, ए० सी० ए०, मैसर्स आर० सुब्रामनियन एण्ड को० चार्टर्ड एकाउंटैंट्स, 36, कृष्णास्वामी, एवेन्यू, माइलापोर, मद्रास-600 004.	25-11-85

1	2	3	4
4.	11105	श्री एम० जयाराजन, एफ० सी० ए०, नं० 11/6, I क्रास, कैम्ब्रिज रोड, उलसुर, बंगलौर-560 008.	14-11-85
5.	11525	श्री के० रामाचन्द्रन, ए० सी० ए०, पोस्ट बाक्स 6431, दर-इस-सलाम, तंजानिया	19-11-85
6.	14181	श्री वी० लक्ष्मीनारायनन, ए० सी० ए०, मैसर्स ए० एफ०, फर्गुसन एण्ड कं०, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 32, नन्गम्बकम रोड, मद्रास-600034.	4-12-85
7.	14701	श्री एम० सी० संकरन, ए० सी० ए०, पी० ओ० बाक्स, 31915, लुसाका, जम्बिया ।	28-11-85
8.	16490	श्री वी० मदन मोहन मूर्थी, ए० सी० ए०, फाइनेंशियल एकाउन्टैन्ट्स, मैसर्स बोटस्वाना मीट कमीशन, पी० ओ० बाक्स नं० 400, लोबाटसे बास्टवाना ।	21-6-85
9.	18596	श्री प्रकाश चन्द्रो वैद्या, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के० एम० सी० कम्प्लैक्स 59, पैलेस रोड, (एडजोनिंग माउन्ट कामल कालेज), वसन्थ नगर, बंगलौर-560 052.	30-9-85
10.	19656	श्री डी० रवि, ए० सी० ए०, 59, कल्यान, 4 स्ट्रीट, अभिरामापुरम, मद्रास-600 018.	5-11-85
11.	19686	श्री जी० राघावन, ए० सी० ए०, 73-सी/आर०, सलाई रोड, सोवमानानस्या, तिरुचिरापल्ली-18.	6-11-85
12.	19934	श्री वी० श्रीनिवासन, ए० सी० ए०, फाइनैन्शियल कन्ट्रोलर टंगानयिका इनामेलवेयर फैक्ट्री लिमिटेड, पी०ओ० बोक्स 20427, दर इस सलाम, तंजानिया।	21-11-85
13.	20108	श्री एन० राजेन्द्रन, ए० सी० ए०, सीनियर एकाउंटैन्ट्स ओफिसर, मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० हाईप्रेसर बाइलर प्लांट, तिरुचिरापल्ली-620 014.	15-11-85
14.	20219	श्री के० राघावन, ए० सी० ए०, 1051, सैक्टर 18-सी, चण्डीगढ़-160018.	15-11-85
15.	20601	श्री आर० मथिवानन, ए० सी० ए०, पी० बोक्स 4857, रूवी, सुल्टानेट, आफ ओमन।	30-10-85
16.	21569	श्री वी० कृष्णास्वामी, ए० सी० ए०, केयर आफ पोडस (इंडिया) लि० मिडल कैम्प, चुबा ब्लोक, ईस्ट डिस्टीक्ट, सिक्किम-737101.	29-11-85
17.	32684	श्री पी० वी० एलेगजेन्डर ए० सी० ए०, 3-डी, चिस्नी निलगिरीज, कमान्डर इन चीफ रोड, मद्रास-600 105.	19-4-85

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

सं० 3-एस० सी०ए० (8)/2/85-86—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार, विनियम 1964 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन)

के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस, प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है :—

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	8015	श्री जी० संथानम, एफ० सी० ए०, एफएफ-2, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, सलाई नगर, तिरूचिरापल्ली-628 003.	17-9-85
2.	8507	श्री ए० वी० कृष्णन, एफ० सी० ए०, ओस्ट्रल प्लास्टिक पी० लि० 16, कन्नैह स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-600 017.	3-10-85
3.	10649	श्री वी० रामाकृष्णा राव एफ० सी० ए०, डोर नं० 16-1-4, ओफिशियल कालोनी, कोस्टल बट्टर्या रोड, महारानी पेटा, विशाखापटनम-530 002.	1-7-83
4.	12014	श्री पी० एस० रामाकृष्णन, एफ० सी० ए०, भगावथी भवनम्, 83/2, रामलिंगा नगर, कोयम्बाटोर-641 011.	28-3-83
5.	14959	श्री के० रंगावलान, ए० सी० ए०, मनेजर, एकाउन्ट्स, मैसर्स रायालासीमा पेपर मिल्स लि०, टी० जी० एल० रोड, एडोनी-518301.	14-11-84
6.	16353	श्री एम० जियाउद्दीन, एफ० सी० ए०, फ़ाइनेन्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, एक्सप्रैस प्रिंटिंग सर्विसिस, पोस्ट बोक्स नं० 10263, दुबई ।	17-9-85
7.	18591	श्री के० मल्लिकार्जुना राव, ए० सी० ए०, चीफ एकाउन्टेन्ट, मैसर्स विनोद सोल्वेक्स ट्रैक्टर्स पी० लि०, आन्ध्रा बैंक बिल्डिंग, 2 फ्लोर, विजयवाडा-520 001.	1-4-84
8.	18604	श्री वी० सुधाकर, एफ० सी० ए०, 3-5-1 091/6, प्लाट नं० 48, वेंकटेश्वरा कालोनी, हैदराबाद ।	17-1-86
9.	19105	श्री आर० रविन्द्रन, ए० सी० ए०, 61, विसिआल स्ट्रीट, कोयम्बटूर-641 001	1-4-85
10.	19340	श्री पन्ड्याला जयाकुमार एफ० सी० ए० 27-1 7-57 पेड्डीभोटलावन स्ट्रीट गवर्नर पेट विजयवाड़ा -520 002	14-11-85
11.	19424	श्री चिन्तालेपुडी श्रीहरि ए० सी० ए०, 22, एस० बी० आई० कालोनी, नियर वेटरनरी होस्पिटल, जैल रोड, विशाखापटनम ।	14-11-85
12.	20023	श्री बी० उगमराज नहार, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 203, मोगुल अपार्टमेन्ट्स, 5-9-59, फतेह मैडन, हैदराबाद-500 001	1-4-85
13.	20039	श्री अरुन के० वर्मा, एफ० सी० ए०, केयर आफ : के० पी० आर० थिरूपाद, एडवोकेट, दरबाद होल रोड, कोचीन-682 01 6	8-6-85

1	2	3	4
14.	20082	श्री के० बालासुब्रामनियन, ए० सी० ए०, नं० 7, 7 स्ट्रीट, लेक एरिया, मद्रास-600 034.	30-6-85
15.	20390	श्री जैकब मैथ्यू, ए० सी० ए० 303, कोंगफोर्ड हाऊस, 22, कोंगफोर्ड गार्डन, बंगलौर-560 025.	1-4-85
16.	20464	श्री एस० रफी अहमद, ए० सी० ए०, एसिस्टैन्ट, मैनेजर आई०/सी० के० डी०डी० सी० लि०, नं० 87, अलमास सैन्टर, एम० जी० रोड, बंगलौर-506 001.	20-3-84
17.	21383	श्री एस० सत्पथ कुमार, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 41, कृष्णापुरी, वैस्ट नेहरू नगर, सिन्कदराबाद-500 026.	23-6-82
18.	21892	श्री एम० वेंकटा रेड्डी, ए० सी० ए०, एच० नं० 8-3-168/20/32 सिद्धार्थ नगर नार्थ, हैदराबाद-500 890.	1-4-85
19.	22581	श्री के० बालासुब्रामनियन ए० सी० ए०, प्लाट नं० 93, कंगेया नेल्लोर रोड, वेल्लोर-632 006 एन० ए० डिस्ट०	12-11-85
20.	22774	श्री आर० सुन्दरम, ए० सी० ए०, 1669, राजाजी नगर, 2 स्टेज, सुब्रमानिया नगर, बंगलौर-560 010	29-5-85
21.	22793	श्री एस० नगेश बाबू, ए० सी० ए०, नं० 43, ओल्ड थारागुपेट, बंगलौर-560 053.	22-10-85
22.	22815	श्री जे० ए० पैट्रिक रोड्रीगो, ए० सी० ए०, 12सी, सहाया माधा स्ट्रीट, गनानोलिवुपुरम, मदुराई-625 016.	12-3-85
23.	22823	श्री एस० सूर्यानारायनन, ए० सी० ए०, 52, सागर तरंग, 81/83, भूलाभाई देसाई रोड, बम्बई-400 036	1-4-85
24.	22970	श्री आर० अनन्था पद्मानाबन, ए० सी० ए०, 1 फ्लोर, 67, लायड्स रोट, मद्रास-600 014.	31-3-85
25.	23241	श्री जे० एस० मनी, ए० सी० ए०, डोर नं० 49-18/2-1, ललिथानगर, विशाखापटनम-530 016.	1-4-85
26.	23538	श्री पी० श्रीनिवासन, ए० सी० ए०, 5, रामानुजा नगर, के० एच० रोड, मद्रास-600 023.	17-12-85
27.	23630	श्री वी० के० प्रसादा राव, ए० सी० ए०, फ़ाइनैन्स आफिसर, स्ट्रोगर डिविजन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०, दूरवानी नगर, बंगलौर-560 016.	17-6-85
28.	23970	श्री एस०एस० अरूनागिरी, ए०सी०ए०, 28-ए, लक्ष्मीपुरम, 3 स्ट्रीट, मदुराई-625 001.	16-7-85
29.	24327	श्री जे० रंगाराजन, ए० सी० ए०, एम 19-ई, गीतांजली कम्पलैक्स, 15 एवेन्यू, अशोक नगर, मद्रास-600 083.	28-8-85

30.	24388	श्री आर० थियागाराजन, ए० सी० ए०, डोर नं० 12, प्लाट नं० 15, शाव वैलेस कालोनी, बन्दायन नगर, आदम बक्कम, मद्रास-600 088	4-10-85

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 1986

सं० जी० एस० आर० सं० 1 (1)-2/72-स्था०-1 (क) संग्रह-2—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 17 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 97, की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अतिक्रमण से पहले किए गए या करने के लिए छोड़े गये मामलों के अलावा निदेशक (प्रशासक), के पद से संबंधित मामलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 का अतिक्रमण करते हुए, निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इसके द्वारा निदेशक, (प्रशासन) के पद की भर्ती की पद्धति, को नियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (निदेशक प्रशासन), भर्ती विनियम, 1986 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राज-पत्र में इनके प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतनमान :

उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, तथा इससे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ, संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं, आदि :

भर्ती की पद्धति, आयु, सीमा, योग्यताएं तथा उक्त पद से संबंधित, अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

4. अयोग्यताएं : ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति, से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि निगम के महा निदेशक को यह तसल्ली हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति, तथा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून, के अन्तर्गत अनुमेय है तथा ऐसा करने के दूसरे आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के लागू होने से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति :

जहां निगम के महा निदेशक की यह राय है कि ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वह केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख बद्ध करके किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के सम्बन्ध में, इस विनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध, में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अपवाद :

इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में ढील तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस सम्बन्ध में, समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा दूसरे विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

बे० सू० रामस्वामी,
महा निदेशक

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है ?	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करते समय परामर्श किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
निदेशक (प्रशासन)	1* (1974) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन	ग्रुप "क"	2000-125/2-2250 रुपये	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा टिप्पणी : 2000-2250 रुपये के वेतनमान में पद का ग्रेड पढ़ने से पहले 1800-2000रु० के वेतनमान में निदेशक (प्रशासन) के पद पर नियमित पदधारी उपयुक्तता प्रारम्भ में बढ़े हुए ग्रेड में पद पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त निर्धारित होने पर उन्हें प्रारम्भिक गठन पर पद पर नियुक्त समझा जायेगा।	पदोन्नति : ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित संयुक्त बीमा आयुक्त क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-1 जिनके न होने पर क्षेत्रीय उपनिदेशक ग्रेड-1/संयुक्त बीमा आयुक्त तथा क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-2/ निदेशक (सं० एवं प० एवं प्रशि०) आदि के ग्रेडों सम्मिलित 8 वर्ष की नियमित सेवा सहित संयुक्त बीमा आयुक्त/ क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड-1 प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस रूप में 14 वर्ष की सेवा सहित, या (2) सदृश्य पदों के धारक या 1500-2000 रुपये के वेतनमान में और प्रशासन, स्थापना तथा लेखा मामलों	1. ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : (पदोन्नति पर विचार के लिए) (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष (2) सचिव/अतिरिक्त सचिव-सदस्य श्रम मंत्रालय, भारत सरकार (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम-सदस्य 2. ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : (स्थायीकरण पर विचार के लिए) (1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य	पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										का अनुभव रखने वाले पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित केन्द्रीय सरकार, अधीन अधिकारी (जिनमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा केन्द्रीय सेवायें ग्रुप 'क' के अधिकारी शामिल होंगे)। पदोन्नति की सीधी लाइन में आने वाले निचले वर्ग के विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित दूसरे एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	बीमा नियम अध्यक्ष (2) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी सदस्य (3) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम- सदस्य टिप्पणी : स्थायीकरण के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। तथापि, आयोग द्वारा इनका अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की नई बैठक की जाएगी।		

बे० सु० रामस्वामी
महा निदेशक

छावनी पालिका, बकलोह छावनी,

बकलोह छावनी, दिनांक 14 नवम्बर, 1984

का० नि० आ० 54-4/2.—बकलोह छावनी में कतिपय व्यवसाय, वृत्ति करने और आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों पर कर अधिरोपित करने के लिए, उप-विधियों, का प्रारूप छावनी बोर्ड की सूचना सं० सी० बी०बी० 54-4/2, दिनांक 14 नवम्बर, 1984 के द्वारा, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की अपेक्षानुसार, उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेपों, और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त सूचना 14 नवम्बर, 1984 को छावनी नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त सभी आक्षेपों, और सुझावों पर छावनी बोर्ड ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 284 की धारा (1) की अपेक्षानुसार उपविधियों के उक्त प्रारूप को सम्यक् रूप से अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त छावनी बोर्ड निम्नलिखित उपविधियां बनाता है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम बकलोह छावनी वृत्ति कर उपविधि, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. वृत्ति कर की दरें : ऐसे सभी व्यक्तियों पर जो बकलोह छावनी, की सीमा के भीतर इससे उपाबद्ध अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में, विनिर्दिष्ट किसी एक या उससे अधिक व्यवसाय और वृत्ति करते हैं, या आजीविका चलाते हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ तीन में विनिर्दिष्ट दरों पर वृत्ति कर अधिरोपित किया जायेगा।

परन्तु यह कि कोई ऐसा सैनिक व्यक्ति, जो अपने सैनिक कर्तव्य पालन से संबंधित कोई एक या उससे अधिक उक्त व्यवसाय, और वृत्ति करता है या आजीविका चलाता है, कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, और

परन्तु यह और कि उसी परिसर में एक से अधिक व्यवसाय, वृत्ति करने या आजीविका चलाने वाले किसी व्यक्ति, से ऐसे सभी व्यवसायों, वृत्तियों और आजीविकाओं के सम्बन्ध में, प्रति वर्ष या किसी वर्ष के भाग के लिये 150 रुपये से अधिक रकम कर के रूप में संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परन्तु यह भी कि छावनी सीमाओं के भीतर एक से अधिक स्थानों पर, एक से अधिक व्यवसाय, वृत्ति करने या आजीविका चलाने वाले किसी व्यक्ति, से प्रत्येक स्थान पर ऐसे सभी व्यवसायों, वृत्तियों, और आजीविकाओं के सम्बन्ध में प्रति वर्ष या किसी वर्ष के भाग, के लिए 250 रुपये से अधिक रकम कर के रूप में संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

अनुसूची

वृत्ति-कर

क्रम सं०	संदाय करने के दायी व्यक्तियों का वर्ग	प्रति वर्ष या किसी वर्ष के भाग के लिए कर की दर
1	2	3
		रुपए
1.	रेजिमेन्ट ठेकेदार (उसके एकक संविदा के भीतर सभी व्यवसाय सम्मिलित है)	60/-
2.	सी०एस०ओ० कैन्टीन जो एकक द्वारा, चलाया जा रहा है।	40/-
3.	ए० एस० सी० मांस/मछली/अंडे का ठेकेदार	50/-
4.	ए० एस० सी० सब्जी का ठेकेदार	50/-
5.	ए० एस० सी० लकड़ी का ठेकेदार	50/-
6.	एम० ई० एस० फर्नीचर और पूर्ति ठेकेदार	50/-
7.	छावनी बोर्ड पूर्ति ठेकेदार	30/-
8.	भवन और सड़क ठेकेदार	60/-
9.	रेजिन ठेकेदार	70/-
10.	बूट और जूते का व्यापारी	20/-
11.	बूट और जूते की मरम्मत करने वाला	8/-
12.	प्याज आलू का व्यापारी	12/-
13.	ब्रेड, बिस्कुट और केक बनाने वाला	20/-
14.	घी निर्माता या विक्रेता	20/-
15.	तम्बाकू विक्रेता (खुदरा), सिगरेट या पान विक्रेता।	15/-
16.	सिगरेट/तम्बाकू, का स्टाकिस्ट	20/-
17.	सिलाई दुकान का मालिक	40/-
18.	दर्जी	12/-
19.	मछली/मांस (तैयार) विक्रेता	20/-
20.	फल और सब्जी विक्रेता	15/-
21.	मिठाई की दुकान (इसमें, दुग्ध, दही, चाय आदि सम्मिलित)	30/-
22.	ढाबा (मात्र भोजन के लिए छोटा होटल)	20/-
23.	भूने हुए (पार्चड्) अनाज का व्यापारी	12/-
24.	साधारण व्यापारी/पनसारी (जो सभी प्रकार के अनाज, मसाले आदि का व्यापार करता हो)	40/-
25.	चीनी का व्यापारी (थोक विक्रय)	20/-
26.	चीनी का व्यापारी (खुदरा)	15/-
27.	भारत में बनी विदेशी शराब का विक्रेता	30/-
28.	देशी शराब का विक्रेता	30/-
29.	सिलाई मशीनों या पुर्जों का विक्रेता	20/-

1	2	3
30.	वस्त्र-व्यापारी	30/-
31.	सिनेमा का मालिक	40/-
32.	फोटोग्राफर या फोटो सामग्रियों का व्यापारी	25/-
33.	बिजली के सामान का व्यापारी	25/-
34.	चाय पत्तियों का व्यापारी विक्रेता	16-
35.	ज्वलनशील सामग्री इसके अन्तर्गत मिट्टी का तेल/ पैट्रोल/द्रवीत पैट्रोलियम गैस आदि है) का व्यापारी/ विक्रेता	20/-
36.	टेलीविजन का व्यापारी	40/-
37.	टेलीविजन मरम्मत करने वाला	25/-
38.	रेडियो मरम्मत करने वाला	10/-
39.	रेडियो सेटों का व्यापारी	20/-
40.	फर्नीचर का व्यापारी	20/-
41.	काष्ठ (तख्ता, लकड़ी के टुकड़े, जलावन की लकड़ी) का व्यापारी	40/-
42.	प्रसाधन सामग्रियों का व्यापारी	7/-
43.	तेल और गैस स्टोव पुर्जे का व्यापारी	12/-
44.	छाते का व्यापारी	10/-
45.	स्टेनलैस स्टील बर्तनों का व्यापारी	25/-
46.	दरी/कालीन का व्यापारी/निर्माता	25/-
47.	खाद्य या पेय से भिन्न सामग्रियों का फेरीवाला	5/-
48.	दीवाल घड़ियों और घड़ियां मरम्मत करने वाला	12/-
49.	दीवाल घड़ियों और घड़ियों का विक्रेता	25/-
50.	सुनार या चांदी वाला सुनार	16/-
51.	लोहार या चदरा वाला	15/-
52.	चिकित्सा व्यवसायी (एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी)	20/-
53.	औषध विक्रेता	20/-
54.	लेखन सामग्री विक्रेता	20/-
55.	पुस्तक विक्रेता	10/-
56.	ऊन विक्रेता	15/-
57.	खिलौना विक्रेता	10/-
58.	क्राकरी विक्रेता	15/-
59.	जिल्दसाज	5/-
60.	पेन्टर	10/-
61.	समाचारपत्र अभिकर्ता	20/-
62.	कुक्कुट पालन-उद्योग चलाने वाला	20/-
63.	बिजली तार बिछाने का ठेकेदार	15/-
64.	लोहे के सामान	15/-
65.	नाई	5/-
66.	बढ़ई	10/-
67.	रंगरेज और धोबी	8/-
68.	सिले-सिलाए वस्त्रों का व्यापारी	15/-

यज्ञेश्वर शर्मा
छावनी अधिशासी, अधिकारी,
ब्रह्मलोह छावनी ।

दामोदर घाटी निगम

सं० 118, दिनांक 10-1-1986—दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) की धारा 60 की उपधारा (1) के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद द्वारा दामोदर घाटी निगम की अधिसूचना सं० 5, दिनांक 28 वीं जनवरी, 1957 में प्रकाशित दामोदर घाटी निगम सेवा नियमावली में और भी संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. (i) ये विनियम दामोदर घाटी निगम सेवा (संशोधन) विनियम, 1985 कहलायेंगे ।

(ii) भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू होंगे ।

2. दामोदर घाटी निगम सेवा नियमावली, में विनियम 108ए(3) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा :—

"विनियम 118ए (3)—प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह 18वीं जनवरी, 1984 से पूर्व या बाद में भर्ती हुआ हो, जो किसी स्थायी पद के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त न हो किन्तु अंशदायी भविष्य निधि (दा० घा० नि०) या कर्मचारी भविष्य निधि (दा० घा० नि०), में, जैसा भी हो विनियम 108 के अनुसार अंशदान करता हो, या जो अंशदान के लिए अपेक्षित हो, परवर्ती किसी तिथि को स्थायी पद के प्रति मौलिक रूप से नियुक्ति होने पर या कम से कम बीस वर्ष तक अस्थायी पद पर काम करने के बाद अधिवर्षता की आयु प्राप्त होने पर सेवा से निवृत्त होते समय या कम से कम बीस वर्ष तक अस्थायी सेवा कर चुकने के बाद उपयुक्त, चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किये जाने पर लिखित रूप से अपने विकल्प का प्रयोग कर सकेगा कि वह वैसे ही अंशदान करता रहेगा या स्थायी पद पर मौलिक नियुक्ति किये जाने का सूचना-आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन मास के भीतर, या कम से कम बीस वर्ष तक अस्थायी रूप से सेवा करने के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर या कम से कम बीस वर्ष तक अस्थायी सेवा कर चुकने के बाद उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किये जाने पर वह पेंशन सह-उपदान निधि में आयेगा" ।

तेज प्रकाश गुप्ता
(उप महाप्रबन्धक)

सं० 117, दिनांक 16-10-85—दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14) की धारा 60 की उपधारा (1) के द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृति से एतद द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिसूचना सं० 5, दिनांक 28 जनवरी, 1957 में प्रकाशित दामोदर घाटी निगम सेवा नियमावली में और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. (1) ये विनियम दामोदर घाटी निगम सेवा (संशोधन) विनियम, 1985 कहलाएंगे ।

(2) भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू होंगे ।

2. दामोदर घाटी निगम सेवा नियमावली में, विनियम 98 (2)(डी) में, निम्नलिखित परन्तुक प्रस्थापित होगा, यथा :—

"परन्तु वह कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता न ले जिसके हाथ में दो अनुशासनिक मामले लंबित हों, जिनमें उसे सहायता देनी हो।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दामोदर घाटी निगम सेवा नियमावली के विनियम 98 (2) डी) में दिया गया है कि कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक जांच चल रही हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दूसरे कर्मचारी की सहायता ले सकता है । तथापि मामलों की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिनमें कोई कर्मचारी एक ही समय में अन्य कर्मचारियों की सहायता कर सके। भारत सरकार तथापि अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही समय में इसकी सीमा दो मामलों तक निर्धारित कर दी है। लोक उद्यम कार्यालय ने अब अपने पत्र सं० 15(4)/84-जी० एम० दिनांक 3-2-1984 में इस सीमा को सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी अंतर्भुक्त करने की सलाह दी है। तदनुसार दामोदर घाटी निगम सेवा विनियम 98(2) (डी), का संशोधन उसके अंत में निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़ कर करने का प्रस्ताव किया गया है ।

"परन्तु वह कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी की सहायता न ले जिसके हाथ में दो अनुशासनिक मामले लंबित हों, जिनमें उसे सहायता देनी हो।"

तेज प्रकाश गुप्ता
उप महाप्रबन्धक एवं अपर सचिव

पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़

क्रमांक 1-86/जी० आर०—केन्द्र सरकार (मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय) ने अपने पत्रांक एफ० 15-4/79 डैस्क (यू०) तिथि 21-1-1986 द्वारा "यूनिवर्सिटी अध्यापकों की छुट्टी को विनियमित करने के लिये संशोधित विनियमों" को स्वीकृति दे दी है । यह विनियम निम्नानुसार है :—

नोट:— जो अध्यापक इन विनियमों के लागू होने से पहले यूनिवर्सिटी सेवा में थे, उनको इस अध्याय अर्थात् कैलेण्डर जिल्द II, 1984 के पृष्ठ 148-154 पर दिये अध्याय VI, विनियम 12.1 में निहित पुराने विनियमों के अनुसार छुट्टी लेने का विकल्प होगा।

1. परिभाषा

इन विनियमों में:—

(1) छुट्टी में "अर्जित छुट्टी"; "अर्धवेतन छुट्टी"; परिवर्तित छुट्टी"; "असाधारण छुट्टी", और "प्रसूति छुट्टी" सम्मिलित हैं।

(2) "अर्जित छुट्टी" का अर्थ वास्तविक सेवा अवधि और दीर्घावकाश के आधार पर अर्जित छुट्टी है।

(3) "अर्धवेतन छुट्टी" का अर्थ आगे वर्णित विनियमों के अनुसार परिकलित सेवा के पूर्ण वर्षों के आधार पर अर्जित छुट्टी है।

(4) "परिवर्तित छुट्टी" का अर्थ आगे की गई व्यवस्था के अनुसार छुट्टी है।

(5) "सेवा के पूर्ण वर्ष" का अर्थ यूनिवर्सिटी में निर्दिष्ट अवधि की लगातार सेवा है और इसमें सरकार के साथ ड्यूटी और प्रतिनियुक्ति पर खर्च किया समय और असाधारण छुट्टी समेत छुट्टी भी सम्मिलित है, जब तक कि इसकी अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

2. छुट्टी का अधिकार

छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता और जब सेवा की अनिवार्यता को देख कर छुट्टी को मंजूर करने वाला अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी से इनकार कर सकता है या इसे रद्द कर सकता है।

3. छुट्टी का प्रारम्भ और समाप्ति

(1) छुट्टी साधारणतया उस तिथि से प्रारम्भ होती है जिस से छुट्टी का उपयोग किया जाता है और उस दिन समाप्त होती है जो काम पर हाजिर होने से एक दिन पहले होता है।

(2) रविवार अथवा अन्य सरकारी अवकाश (दीर्घावकाश को छोड़कर) को छुट्टी के आगे और पीछे जोड़ा जा सकता है।

नोट:— अध्यापकों से साधारणतया शिक्षणकालावधि के अन्तिम दिन और दीर्घावकाश के बाद शिक्षणकालावधि के पहले दिन हाजिर होने की आशा की जाती है परन्तु अपवादात्मक अथवा विशेष हालतों में, दीर्घावकाश के साथ, आकस्मिक छुट्टी को छोड़ कर, बाकी अन्य प्रकार की छुट्टी को जोड़ने की स्वीकृति दी जा सकती है।

4. छुट्टी समाप्त होने के पश्चात काम पर वापसी

छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी पर कोई भी व्यक्ति मंजूर की गई छुट्टी समाप्त होने से पहले काम पर वापिस नहीं आ सकता।

5. छुट्टी का संयोजन

यदि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, इन विनियमों के अनुसार किसी भी प्रकार की छुट्टी को अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

6. एक प्रकार की छुट्टी का अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन

(1) अध्यापक के आवेदन पर यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार की छुट्टी का, असाधारण छुट्टी समेत, पूर्व तिथि से किसी अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन कर सकती है, बशर्ते कि वह छुट्टी परिवर्तन की जाने वाली तिथि को स्वीकार्य हो; परन्तु अध्यापक इस परिवर्तन का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता।

(2) यदि एक प्रकार की छुट्टी का अन्य छुट्टी में परिवर्तन किया जाता है, मामले की स्थिति के अनुसार, छुट्टी के वेतन की स्वीकार्य राशि का पुनर्कलन किया जायेगा और छुट्टी के वेतन की वकाया राशि की अदायगी कर दी जायेगी अथवा अतिरिक्त अदायगी राशि को वसूल कर लिया जायेगा।

7. मैडिकल छुट्टी से वापसी उपरान्त काम पर पुनः उपस्थिति जिस अध्यापक को मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर छुट्टी दी गयी है, उसको काम पर हाजिर होने से पहले, निर्धारित विधि अनुसार अथवा नियत व्यक्ति से लिया अपनी स्वस्थता का मैडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा।

8. आपातिक और उपयुक्त कारणों वाली स्थितियों को छोड़कर, छुट्टी का उपयोग करने से पहले छुट्टी के लिये आवेदन पत्र दे देना चाहिये, और छुट्टी मंजूर करवानी चाहिये।

9. प्रत्येक अध्यापक की छुट्टी का हिसाब सम्बन्धित विभाग में रखा जायेगा।

10. छुट्टी का परिकलन करते समय स्थायी सेवा से पहले की गई बिना भंग लगातार अस्थायी सेवा को स्थायी सेवा में सम्मिलित किया जायगा ।

11. स्वीकार्य छुट्टी के प्रकार

अध्यापकों के लिये निम्न प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य होगी :

भाग 1

स्थायी अध्यापक

(1) ड्यूटी समझी जाने वाली छुट्टी--

आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, विशेष शैक्षिक छुट्टी और ड्यूटी छुट्टी।

(2) ड्यूटी द्वारा अर्जित छुट्टी ---

अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी

(3) ड्यूटी द्वारा अनार्जित छुट्टी--

असाधारण छुट्टी और अदेय छुट्टी--

(4) छुट्टी खाते में नामे खाते न लिखी गई छुट्टी—

(क) स्वास्थ्य के आधार पर ली गई छुट्टी, प्रसूति छुट्टी और संगरोध छुट्टी।

(ख) शैक्षिक कार्यों के लिये छुट्टी; अध्ययन छुट्टी, और सबैटिकल छुट्टी (जिसे अलग तौर पर निर्धारित किया गया है)

सिण्डीकेट, विशेष हालतों में और अभिलिखित कारणों से, इस द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन, अन्य प्रकार की छुट्टी मंजूर कर सकती है।

(क) आकस्मिक छुट्टी

(1) यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक अध्यापक को घरेलू और निजी कामों के लिये निम्नानुसार आकस्मिक छुट्टी मिल सकेगी;

(क) 10 साल की सेवा तक .....एक साल में 10 दिन।

(ख) 10 से 20 साल की सेवा के बीच.... एक साल में 15 दिन

(ग) 20 साल से अधिक .....एक साल में 20 दिन--

बशर्ते कि--

1. आकस्मिक छुट्टी एक बार में 16 दिन से अधिक मंजूर नहीं की जायेगी।

2. जिस साल अध्यापक अपनी सेवा का 10वाँ अथवा 20 वाँ साल पूरा कर लेगा, वह उस साल उच्च स्तर के अनुसार आकस्मिक छुट्टी के लिये अधिकृत होगा।

3. एन्टिरैविक इलाज के लिये केन्द्र अथवा संस्था में इलाज करवाने के लिये 10 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। यदि किसी विशेष हालत में इस इलाज के लिये 16 दिन से अधिक छुट्टी की आवश्यकता हो, केन्द्र अथवा संस्था का सर्टिफिकेट पेश करने पर एक महीने तक विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

(2) किसी साल की आकस्मिक छुट्टी अगले साल में नहीं ले जाई जा सकती।

(3) आकस्मिक छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा नहीं जायेगा।

(4) आकस्मिक छुट्टी की अवधि में आने वाली सरकारी छुट्टियों को आकस्मिक छुट्टी में नहीं गिना जायेगा।

(5) अध्यापक आकस्मिक छुट्टी के समय पूर्व आज्ञा के बिना मुख्यावास नहीं छोड़ सकेगा।

(क) आपातकालिक स्थिति को छोड़कर, अध्यापक को आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करने से पहले छुट्टी को मंजूर करने वाले प्राधिकारी का आदेश प्राप्त करना ही पड़ेगा।

(ख) दो दिन से अधिक समय की मेडिकल छुट्टी के लिये घर से भेजे सब आवेदन पत्रों के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया जाना चाहिये।

(6) आकस्मिक छुट्टी का खाता हर एक साल 1 जुलाई से अनुवर्ती वर्ष के 30 जून तक रखा जायेगा। आकस्मिक छुट्टी के सारे खाते 30 जून को बन्द कर दिये जायेंगे और एक जुलाई को नये खाते खोले जायेंगे, बिना इस बात का लिहाज किये कि एक अध्यापक इस प्रकार आकस्मिक छुट्टी लेता है जिस में जून के कुछ अन्तिम दिन और जुलाई के कुछ आकस्मिक दिन शामिल हों। इस तरह, यदि एक अध्यापक 26 जून से 5 जुलाई तक की छुट्टी लेता है, 26 जून से 30 जून तक का समय उस साल के छुट्टी खाते में डाल दिया जायेगा और 1 जुलाई, से 5 जुलाई तक का समय अनुवर्ती साल के छुट्टी खाते में डाल दिया जायेगा।

(ख) विशेष आकस्मिक और विशेष शैक्षिक छुट्टी

1' (1) एक अध्यापक को एक शैक्षिक वर्ष में 10 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है—

(क) यूनिवर्सिटी, लोक सेवा आयोग, परीक्षा बोर्ड या अन्य ऐसी निकायों/संस्थाओं की परीक्षायें संचालित करने के लिये;

(ख) सांविधिक बोर्ड इत्यादि से सम्बन्ध शैक्षिक संस्थाओं के निरीक्षण के लिये;

(ग) यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यताप्राप्त निकायों द्वारा संचालित साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा शैक्षिक सम्मेलन, परिसंवाद या विचार गोष्ठी या सांस्कृतिक पुष्टकाय कार्यकलापों में भाग लेने के लिये,

(घ) कोई अन्य कार्य करने के लिये जिसकी कुलपति द्वारा शैक्षिक कार्य के रूप में स्वीकृति दी जा सकती हो।

नोट:— 10 दिन गिनते समय, स्वीकार्य छुट्टी / ऐसे सम्मेलन कार्य कलाप के स्थान तक आने जाने के सफर के दिन, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।

(2) इसके अतिरिक्त, निम्नवर्णित सीमा तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी भी मंजूर की जा सकती है—

(क) अनुवीक्षण आपरेशन (नसबन्दी या नलबन्दी (करवाने के लिये। इस हालत में छुट्टी 6 दिन के कार्य दिवस तक सीमित होगी।

(ख) महिला अध्यापक के लिये जो मास-वेक्टमी (अनुपरीक्षण) करवाती हैं। इस हालत में छुट्टी 14 दिन तक सीमित होगी।

(3) विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त एक शैक्षिक वर्ष में कुलपति की अनुमति से 30 दिन तक की विशेष शैक्षिक छुट्टी ऐसा काम करने के लिये दी जायेगी जिसे कुलपति शैक्षिक काम के रूप में स्वीकृति प्रदान कर सके, बशर्ते कि इससे अध्यापक के शैक्षिक काम में कोई बाधा न पड़े।

(4) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष शैक्षिक छुट्टी को संचित नहीं किया जा सकता, और न ही यह आकस्मिक छुट्टी के इलावा किसी अन्य प्रकार की छुट्टी से जोड़ी जा सकती है। यह अवकाश या दीर्घावकाश के साथ जोड़ कर मंजूर की जा सकती है:

(ग) ड्यूटी छुट्टी

(1) ड्यूटी छुट्टी निम्न कार्यों के लिये मंजूर की जा सकती है—

(क) यूनिवर्सिटी की ओर से अथवा यूनिवर्सिटी की अनुमति से सम्मेलनों, महासभाओं, परिसंवादों और विचार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए,

(ख) उन यूनिवर्सिटियों या संस्थाओं में भाषण देने के लिये जिनका निमंत्रण यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त और कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया हो;

(ग) यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिनियुक्ति किये जाने पर किसी अन्य भारतीय या विदेशी यूनिवर्सिटी, किसी अन्य अभिकरण, संस्थाओं या संगठन में काम करने के लिये;

(घ) भारत सरकार, राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, भगिनी यूनिवर्सिटी या किसी अन्य शैक्षिक निकाय द्वारा नियुक्त कमेटी के प्रत्यायोग पर कार्य करने के लिये; और

(च) यूनिवर्सिटी के लिये किसी अन्य कार्य का निष्पादन करने के लिये।

(2) छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिये जो छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर आवश्यक समझी जाये।

(3) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। बशर्ते कि यदि कोई अध्यापक साधारण खर्च के लिये आवश्यक राशि से अधिक कोई शिक्षा वृत्ति

या मानदेय या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, तो उसे कम वेतन और भत्ते पर ड्यूटी छुट्टी मंजूर की जा सकती है ।

(4) ड्यूटी छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(5) धारा (1) की उपधाराओं (क) से (घ) के अधीन ड्यूटी छुट्टी का इसकी मंजूरी की प्रत्याशा में उपयोग नहीं किया जा सकता। यह केवल कुलपति की पूर्वलिखित अनुमति के बाद ही उपयोग की जा सकती है।

(घ) अर्जित छुट्टी

(1) एक अध्यापक के लिये स्वीकार्य अर्जित छुट्टी निम्न-प्रकार होगी—

(क) दीर्घविकाश को मिलाकर वास्तविक सेवा का 1/30 वां भाग, जमा

(ख) उस अवधि, यदि कोई हो, का 1/3 भाग, जिसमें उसे दीर्घविकाश के दौरान कार्य करने को कहा जाता है।

नोट:— वास्तविक सेवा—अवधि का परिकलन करते समय, आकस्मिक, विशेष आकस्मिक, विशेष शैक्षिक और ड्यूटी छुट्टी की अवधि को छोड़कर, शेष सब छुट्टी अवधियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) एक अध्यापक के खाते में अर्जित छुट्टी 180 दिन से अधिक संचित नहीं होगी। एक बार मंजूर की जाने वाली अधिकतम अर्जित छुट्टी 120 दिन से नहीं बढ़ सकेगी। 120 दिन से अधिक अर्जित छुट्टी को उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण या मैडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी या इस छुट्टी या इसके कुछ अंश को भारत के बाहर खर्च किये जाने की सूरत में मंजूर किया जा सकता है। योग्य प्राधिकारी किसी अध्यापक को निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर अधिकतम 120 दिन तक की छुट्टी का उपयोग करने की मंजूरी दे सकता है, यदि उसने इस छुट्टी के लिए उचित समय पर आवेदन पत्र दे दिया हो और यूनिवर्सिटी के हित में इसको नामंजूर कर दिया गया हो।

नोट : 1 जब एक अध्यापक दीर्घविकाश को अर्जित छुट्टी के साथ जोड़ता है तो औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी के परिकलन में दीर्घविकाश अवधि को छुट्टी माना जायेगा, जिसको छुट्टी की विशेष अवधि में सम्मिलित किया जा सकता है।

नोट: 2 उन हालतों में जहाँ छुट्टी का केवल कुछ भाग ही भारत से बाहर बिताया जाता है, 120 दिन से अधिक छुट्टी की मंजूरी इस शर्त के अधीन होगी कि भारत में बिताया छुट्टी का भाग कुल मिला कर 120 दिन से अधिक नहीं होगा।

(च) अर्धवेतन छुट्टी

स्थायी अध्यापक को स्वीकार्य अर्धवेतन छुट्टी, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 20 दिन की होगी। यह छुट्टी निजी काम या शैक्षिक कार्यों के लिये मैडिकल सर्टिफिकेट पर मंजूर की जा सकती है।

(छ) परिवर्तित छुट्टी

एक स्थायी अध्यापक को देय अर्धवेतन छुट्टी के आधे भाग तक की परिवर्तित छुट्टी मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन मंजूर की जा सकती है—

(1) परिवर्तित छुट्टी सारे सेवा-काल में अधिकतम 240 दिन तक सीमित होगी।

(2) जब परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाती है, तो इस छुट्टी की दुगुनी मात्रा देय अर्धवेतन छुट्टी के खाते में से कम कर दी जायेगी।

(3) मिला कर ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि एक बार में 240 दिन से अधिक नहीं होगी। बशर्ते कि विनियमों के अधीन कोई भी परिवर्तित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी जितनी देर तक छुट्टी मंजूर करने के योग्य प्राधिकारी को यह विश्वास न हो जाये कि अध्यापक छुट्टी समाप्त होते ही काम पर वापस आ जायेगा।

(ज) असाधारण छुट्टी

(1) एक स्थाई अध्यापक को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है।

(क) जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य न हो, या

(ख) जब कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य हो, अध्यापक असाधारण छुट्टी के लिये लिखित आवेदन पत्र देता है।

(2) असाधारण छुट्टी हमेशा वेतन और भत्ते के बिना होगी। निम्न हालतों को छोड़कर असाधारण छुट्टी वेतन-तरक्की के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(क) मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ली गई छुट्टी

(ख) उन हालतों में जहाँ कुलपति की सन्तुष्टि हो जाये कि यह छुट्टी अध्यापक के वश में न रही बातों के कारण ली गई थी, जैसाकि नागरिक गड़बड़ी या प्राकृतिक विपत्ति के कारण काम पर हाजिर न हो सकने की अक्षमता, बशर्ते कि अध्यापक के पास किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जमा न हो,

(ग) उच्च अध्ययन के लिये ली गई छुट्टी, और

(घ) अध्यापन पद या शिक्षा वृत्ति या शोध-व-अध्यापन पद या महत्वपूर्ण तकनीकी या

शैक्षिक काम के दत्तकार्य के लिये निमंत्रण स्वीकार करने के वास्ते दी गई छुट्टी।

(3) असाधारण छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य किसी भी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि छुट्टी पर होने के समय काम से लगातार गैर हाजिरी की कुल अवधि (दीर्घावकाश की अवधियों के समेत, जब इस दीर्घावकाश को छुट्टी के साथ जोड़ कर लिया जाता है) तीन साल से अधिक नहीं होगी, केवल उन हालतों को छोड़कर जहाँ छुट्टी मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ली जाती है। काम से गैर हाजिरी की कुल अवधि कुल मिला कर पाँच साल से अधिक नहीं होगी।

(4) छुट्टी मंजूर करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी बिना छुट्टी गैर-हाजिरी की अवधियों को पूर्व तिथि से असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

(ज) अदेय छुट्टी

(1) अदेय छुट्टी एक स्थायी अध्यापक की कुलपति की इच्छानुसार सारी सेवा अवधि में 360 दिन तक दी जा सकती है, जिसमें एक बार में 90 दिन से अधिक और कुल 180 दिन की छुट्टी अन्यथा मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जा सकती है। यह छुट्टी उस द्वारा बाद में अर्जित अर्धवेतन छुट्टी के खाते में डाली जायेगी।

(2) "अदेय छुट्टी" उतनी देर तक मंजूर नहीं की जायेगी जितनी देर तक कुलपति की सन्तुष्टि न हो जाये कि संभवतः अध्यापक छुट्टी समाप्त होने पर काम पर वापस आ जायेगा और मंजूर की गई छुट्टी को अर्जित कर लेगा।

(3) जिस अध्यापक को "अदेय छुट्टी" दी जाती है, उसको सेवा से त्यागपत्र देने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह सक्रिय सेवा से छुट्टी का यह बकाया ऋण खत्म नहीं कर देता, या इस अनार्जित काल के लिये उसको दिये गये वेतन और भत्ते की राशि वापस नहीं कर देता। उस सूरत में जहाँ अध्यापक को अस्वास्थ्य से आगामी सेवा के लिये नकारा बना दिया हो जिसके फलस्वरूप सेवा निवृत्ति अनिवार्य हो गई हो, सिण्डीकेट अभी अर्जित की जाने वाली छुट्टी अवधि के लिये छुट्टी वेतन की वापसी को माफ कर सकती है। बशर्ते कि सिण्डीकेट, किसी अन्य अपवादात्मक हालत में, अभिलिखित कारणों से, अभी अर्जित की जाने वाली छुट्टी अवधि के लिये छुट्टी के वेतन की वापसी की माँग कर सकती है।

(झ) अध्ययन छुट्टी

(1) अध्ययन छुट्टी उस स्थायी पूर्णकालिक अध्यापक (यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को छोड़कर) को दी जा सकती है जिस की लगातार सेवा दो साल से कम न हो। यह छुट्टी अध्यापक को यूनिवर्सिटी में सीधे तौर पर अपने काम से सम्बन्धित विशेष अध्ययन या शोध के लिये या यूनिवर्सिटी प्रबन्ध के विभिन्न पक्षों या शिक्षा-विधियों का विशेष अध्ययन करने के लिये अपनी पूर्ण कार्य-योजना प्रस्तुत करने के उपरान्त दी जा सकती है।

(2) अध्ययन छुट्टी सलाहकार समिति की सिफारिश पर दी जायेगी, पर यह छुट्टी दो साल से अधिक समय के लिये नहीं दी जायेगी केवल उन अति अपवादात्मक हालतों को छोड़कर जहाँ सिण्डीकेट सन्तुष्ट हो जाती है कि यह अवधि विस्तार शैक्षिक आधारों पर अनिवार्य और यूनिवर्सिटी के हित में आवश्यक है।

अध्ययन छुट्टी की अवधि किसी भी हालत में तीन साल से अधिक बढ़ नहीं सकेगी।

(3) अध्ययन छुट्टी उस अध्यापक को नहीं दी जायेगी जिसकी सेवा-निवृत्ति उस तिथि से तीन साल के अन्दर हो जिस तिथि को उसने अध्ययन छुट्टी की समाप्ति उपरान्त काम पर हाजिर होना था।

(4) अध्ययन छुट्टी एक बार से अधिक भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उस अध्यापक को पहली अध्ययन छुट्टी की अवधि की समाप्ति के बाद काम पर हाजिर हुए कम से कम पाँच साल से कम समय न हो गया हो। आगामी अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए, अध्यापक को पहली छुट्टी की अवधि में किए काम को दिखाना पड़ेगा और प्रस्तावित अध्ययन छुट्टी की अवधि में किए जाने वाले काम का ब्यौरा देना पड़ेगा ।

(5) किसी भी अध्यापक को, जिसको अध्ययन छुट्टी दी गयी है, सिण्डीकेट की अनुमति के बिना अपने अध्ययन-क्रम और शोध के कार्यक्रम को तत्वतः बदलने की आज्ञा नहीं होगी। जब मंजूर की गयी अध्ययन छुट्टी अध्ययनक्रम से कम पड़ती दिखायी दे, तो अध्यापक अध्ययनक्रम खत्म होने पर काम पर हाजिर होगा, पर इसके लिए न्यूनता की अवधि को असाधारण छुट्टी मानने के लिए सिण्डीकेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है ।

(6) जिन अध्यापकों को अध्ययन छुट्टी दी गयी है, वह अध्ययन छुट्टी की अवधि में अपना उतना कुल वेतन लेना जारी रखेंगे जितना यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अधीन शिक्षा-वृत्ति प्राप्त अध्यापकों को मिलता है, पर वह 250 रुपए प्रति महीना के जीवनयापन व्यय भत्ते के अधिकृत

नहीं होंगे। आवश्यक वेतन— रकमें भी देय होने पर मंजूर की जाएगी। पर अध्ययन छुट्टी प्राप्त अध्यापकों को दी जाने वाली वेतन राशि नीचे दी गई उपधारा ( ) और (i) में की गयी व्यवस्था के अनुसार घटा दी जाएगी ।

(7) अध्ययन छुट्टी प्राप्त अध्यापक को जो छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति या कोई अन्य वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी है, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अध्ययन छुट्टी वेतन और भत्ते के बिना मंजूर की गयी है। पर प्राप्त छात्रवृत्ति उस वेतन और भत्ते का निर्धारण करते समय हिसाब में लाई जाएगी जिस वेतन पर अध्ययन छुट्टी दी जा सकती है। जब कोई अध्यापक वित्तीय सहायता प्राप्त करता है, उसके वेतन और भत्ते की स्वीकार्यता का निर्धारण करते समय निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं :—

(क) 10,000 या अधिक डालर प्रति वर्ष — बिना वेतन छुट्टी दी जाएगी।

(ख) 5000 या अधिक और 10000 से— अर्द्धवेतन पर छुट्टी, और कम डालर प्रति वर्ष।

(ग) 5000 डालरों से कम प्रतिवर्ष— पूर्ण वेतन पर छुट्टी ।

(8) यदि एक अध्यापक को अध्ययन छुट्टी दी गयी है, अध्ययन छुट्टी की अवधि में अंशकालिक रोजगार के लिए किसी प्रतिफल को प्राप्त करने अथवा बनाए रखने की आज्ञा दी जाती है, तो उसे साधारणतया कोई अध्ययन छुट्टी वेतन मंजूर नहीं किया जाएगा पर उन हालातों में, जहाँ अंशकालिक रोजगार के लिए प्राप्त की प्रतिफल की राशि पर्याप्त न समझी जाए, सिंडीकेट प्रत्येक हालत में अदायगी योग्य अध्ययन छुट्टी वेतन का निर्धारण कर सकती है।

नोट :—अध्ययन छुट्टी प्राप्त अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि वह तुरन्त यूनिवर्सिटी को सूचित करे कि उसने अध्ययन छुट्टी के दौरान किसी व्यक्ति या संस्था से कितनी वित्तीय सहायता किस रूप में प्राप्त की है ।

(9) बशर्ते कि छुट्टी पर काम से गैरहाजिर रहने की अधिकतम अवधि तीन साल से अधिक न हो, अध्ययन छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी या दीर्घावकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। पर शर्त यह है कि अध्यापक के पास जमा अर्जित छुट्टी का उपयोग अध्ययन छुट्टी के प्रारम्भ में किया जाएगा। जब अध्ययन छुट्टी दीर्घावकाश के साथ मिला कर ली जाती है, अध्ययन छुट्टी की अवधि दीर्घावकाश की समाप्ति के बाद शुरू हुई मानी जाएगी।

(10) अध्ययन छुट्टी की अवधि, सेवा निवृत्ति लाभों के उद्देश्य से सेवा-अवधि मानी जाएगी बशर्ते कि अध्यापक अपनी अध्ययन छुट्टी के समाप्त होने पर यूनिवर्सिटी में काम पर हाजिर हो जाए, और उस अवधि तक सेवा में रहे जिस अवधि के लिए उसने बंधपत्र भरा हुआ हो ।

(11) एक अध्यापक को दी गई अध्ययन छुट्टी उस समय रद्द समझी जाएगी यदि इसके मंजूर करने के छः महीने के बीच इसका उपयोग न किया जाए। बशर्ते कि जहाँ मंजूर अध्ययन छुट्टी ऐसे रद्द की गयी हो, अध्यापक इस छुट्टी के लिए फिर से आवेदन कर सकता है ।

(12) अध्ययन-छुट्टी का उपयोग कर रहा अध्यापक यह प्रतिज्ञा करेगा कि वह अध्ययन छुट्टी से दुगुनी अवधि के लिए यूनिवर्सिटी की लगातार सेवा करेगा, पर यह अवधि अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात अपने काम पर हाजिर होने की तिथि से अधिक से अधिक तीन साल की होगी ।

(13) एक अध्यापक—

(क) जो प्राप्त अध्ययन छुट्टी की अवधि में अपना अध्ययन पूर्ण करने में अक्षम रहा हो, अथवा

(ख) जो अध्ययन छुट्टी के समाप्त होने पर यूनिवर्सिटी की सेवा पर हाजिर होने में असफल रहा हो, अथवा

(ग) जो यूनिवर्सिटी की सेवा में पुनः हाजिर तो हो जाता है पर जो सेवा पर हाजिर होने के बाद सेवा की नियत अवधि पूर्ण किए बिना नौकरी छोड़ देता है, अथवा

(घ) जिसे यूनिवर्सिटी उपर्युक्त अवधि में नौकरी से बरखास्त या बरतरफ कर देती है ।

उसे अध्ययन क्रम के सम्बन्ध में अध्यापक पर खर्च किए या उसको या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को अदा किए छुट्टी के वेतन, भत्ते और अन्य खर्च की राशि यूनिवर्सिटी को वापिस करनी होगी : बशर्ते कि यदि अध्यापक ने अध्ययन छुट्टी से वापिस आकर बंधपत्र की व्यवस्था के अनुसार सेवा की आधी अवधि तक के समय की यूनिवर्सिटी सेवा की हो, वह यूनिवर्सिटी को उपर्युक्त ढंग से परिकलित राशि का आधा भाग यूनिवर्सिटी को वापिस देगा। यदि किसी अध्यापक को वेतन और भत्ते के बिना अध्ययन छुट्टी मंजूर की गयी हो, तो उसे आखिरी महीने के लिए वेतन के आधार पर चार महीने के वेतन और भत्ते के समान राशि अर्थात् यूनिवर्सिटी की ओर से उसके अध्ययन क्रम से सम्बन्धित अन्य खर्च यूनिवर्सिटी को देना होगा ।

व्याख्या :

यदि एक अध्यापक अध्ययन छुट्टी के बढ़ाए जाने का आवेदन करता है और उसकी छुट्टी बढ़ाई नहीं जाती, और वह मूल रूप में मंजूर की गयी छुट्टी की समाप्ति पर काम पर हाजिर नहीं होता, तो इन विनियमों के अधीन उसे देय राशि की वसूली के उद्देश्य से छुट्टी समाप्त होने के बाद काम पर हाजिर होने में अक्षम माना जाएगा ।

(च) उपर्युक्त के होते हुए भी सिंडीकेट आदेश दे सकती है कि इन विनियमों में की गयी व्यवस्था उस अध्यापक पर लागू नहीं होगी जिसको अध्ययन छुट्टी से काम पर वापिस आने के तीन साल के अन्दर मैडिकल आधार पर सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी जाए। बशर्ते कि सिंडीकेट, किसी भी अपवादात्मक हालत में, इन विनियमों के अधीन उस अध्यापक द्वारा वापिस की जाने वाली राशि को उपयुक्त कारण बताती हुई माफ या कम कर सकती है ।

(14) (क) छुट्टी मंजूर होने के बाद, अध्यापक छुट्टी का उपयोग करने से पहले नियत फार्म में एक बंधपत्र यूनिवर्सिटी के साथ करेगा जिसमें वह यह प्रतिज्ञा करेगा कि वह पूर्ण, अर्ध या बिना वेतन के आधार पर मंजूर की गयी अध्ययन छुट्टी की अवधि से कम से कम दुगने समय तक यूनिवर्सिटी में सेवा करेगा, पर यह अवधि तीन साल से अधिक नहीं होगी ।

(ख) उपर्युक्त बंधपत्र भरने के अतिरिक्त, अध्यापक को जब पूर्ण वेतन पर अध्ययन छुट्टी मिले तो दो जमानतें, और यदि अर्धवेतन पर या बिना वेतन अध्ययन छुट्टी मंजूर की जाए तो एक जमानत देनी होगी, और यूनिवर्सिटी की सन्तुष्टि के लिए अचल सम्पत्ति की जमानत देनी होगी या बीमा कम्पनी का निष्ठापत्र या अनुसूचित बैंक द्वारा गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी । प्रस्तुत की गई जमानतें यूनिवर्सिटी को स्वीकार होनी चाहिएं । जहां अध्यापक द्वारा पेश की गयी क्रमानुसार दो जमानतें और एक जमानत उस संस्था से सम्बन्धित हैं जहां अध्यापक काम करता है, तो यूनिवर्सिटी अपनी इच्छानुसार अचल सम्पत्ति या बीमा कम्पनी के निष्ठापत्र या अनसूचित बैंक द्वारा गारण्टी लेने की अतिरिक्त शर्त को माफ कर सकती है । जमानत द्वारा अध्ययन छुट्टी के बंधपत्र का भाग होगी और उस अध्यापक द्वारा बंधपत्र की शर्तें पूरी न करने की सूरत में वसूल करने योग्य राशि जमानतियों द्वारा यूनिवर्सिटी को अदा करनी पड़ेगी ।

(15) जिस अध्यापक को अपनी डाक्टरेट के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए छुट्टी मंजूर की गई है, उसे अपने पर्यवेक्षक या संस्था के अध्यक्ष की मार्फत रजिस्ट्रार को अपनी शोध के बारे में छः मासिक रिपोर्टें भेजनी होंगी । अन्य अध्यापकों की सूरत में, सम्बन्धित अध्यापक अपने काम की रिपोर्ट सीधी रजिस्ट्रार को भेजेगा । यह रिपोर्टें अध्ययन छुट्टी की प्रत्येक छः माही के खत्म होने के एक महीने के अन्दर रजिस्ट्रार के पास पहुंचनी चाहिए यदि निर्धारित समय में यह रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास न पहुंचे, तो वेतन की अदायगी रिपोर्ट प्राप्त होने तक आस्थगित की जा सकती है ।

(ट) सबेटिकल छुट्टी

(1) यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो अध्ययन छुट्टी लेने के योग्य नहीं हैं और जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ग्रेड में नियुक्त हैं, वह देश या विदेश में अध्ययन, शोध या लेखन कार्य के लिए अपनी प्रत्येक छः साल की लगातार सेवा के खत्म होने पर एक साल की सबेटिकल छुट्टी के योग्य बन जायेगा ।

अथवा

(1) यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, जिन्होंने सेवा के तीन साल पूरे कर लिए हैं, यूनिवर्सिटी कार्य के लिए अपनी कुशलता और उपयोगिता बढ़ाने के केवलमात्र उद्देश्य से अध्ययन या शोध या अन्य शैक्षिक कार्य के लिए सबेटिकल छुट्टी मंजूर की जा सकती है । यह छुट्टी उस प्रोफेसर को नहीं दी जाएगी जिसने निवृत्ति आयु से पहले यूनिवर्सिटी में तीन साल से कम सेवा की हो ।

(2) सबेटिकल छुट्टी की अवधि दो या तीन सिमेस्टरों से अधिक नहीं होगी अथवा उस प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में अपनी पहली सबेटिकल छुट्टी से वापसी उपरान्त दरअसल क्रमानुसार छः या बारह सिमेस्टरों से कम समय के लिए काम न किया हो । बशर्ते कि सबेटिकल छुट्टी प्रोफेसर के पहली सबेटिकल छुट्टी या अन्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वापसी की तिथि से छः सिमेस्टर की समाप्ति से पहले नहीं दी जाएगी ।

2. इस उद्देश्य के लिए प्रोफेसर ग्रेड में सेवा का परिकलन करते समय छः साल की बिना भंग लगातार सेवा परिकलन में लाई जाएगी अर्थात इस सेवा में एक यूनिवर्सिटी सेशन (दीर्घावकाश को छोड़कर) में तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थिति व्यवधान नहीं होना चाहिए। सबेटिकल छुट्टी के उद्देश्य से तीन महीने से अधिक अवधि की अनुपस्थिति के लिए समान कालावधि की अतिरिक्त अवधि की सेवा करनी होगी

3. सबेटिकल छुट्टी दीर्घावकाश मिलाकर बारह महीने के लिए दी जाएगी । दीर्घावकाश को सबेटिकल छुट्टी के आगे या पीछे जोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

4. यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की सेवा की कुल अवधि में सबेटिकल छुट्टी का उपयोग केवल एक साल की अवधि के लिए दो बार किया जा सकता है। बशर्ते कि उसने सबटिकल छुट्टी की प्रत्येक अवधि से पहले छ साल तक की मान्यताप्राप्त सेवा की हो ;

5. सबटिकल छुट्टी की अवधि में प्रोफेसर को देय तिथि पर साधारण वेतन तरक्की प्राप्त करने की आज्ञा होगी और निवृत्ति लाभों की दृष्टि से छुट्टी की अवधि को लगातार सेवा माना जाएगा, बशर्ते कि प्रोफेसर अपनी छुट्टी खत्म होते ही यूनिवर्सिटी में हाजिर हो जाए ।

नोट :—1. सबेटिकल छुट्टी के कार्यक्रम को छुट्टी के आवेदन पत्र सहित (कुलपति द्वारा) स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. अध्यापक छुट्टी से वापस आने पर छुट्टी की अवधि में किए अध्ययन, शोध या लेखन के कार्य के बारे में रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को देगा ।

6. एक प्रोफेसर को सबेटिकल छुट्टी की अवधि म, उस दर पर पूर्ण वेतन और भत्ते दिए जाएंगे (पूरी की जा रही नियत शर्तों के अधीन) जो वह सबेटिकल छुट्टी पर जाने से तुरन्त पहले ले रहा था। यूनिवर्सिटी उस का खाली पद नही भरेगी। सबेटिकल छुट्टी पर होता हुआ एक प्रोफेसर छुट्टी की अवधि में भारत या विदेश में किसी अन्य संस्था के अधीन पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा ।

3. प्रसूति छुट्टी

(1) प्रसूति छुट्टी एक महिला अध्यापक को पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है जो छुट्टी शुरू होने की तिथि से तीन महीने या प्रसव की तिथि से छः सप्ताह, इनमें से जो भी पहले हो, खत्म होने तक होगी। प्रसूति छुट्टी गर्भपात की हालत में, चाहे यह संयोगी हो या ऐच्छिक, भी दी जा सकती है। बशर्ते कि आवेदित छुट्टी छः सप्ताह से अधिक न हो और आवेदन पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया गया हो ।

(2) प्रसूति छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, परन्तु प्रसूति छुट्टी के साथ जोड़ी जाने वाली आवेदित छुट्टी तब दी जा सकती है यदि आवेदन पत्र के साथ मैडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया गया हो ।

(ढ) संगरोध छुट्टी

(1) संगरोध छुट्टी काम से अनुपस्थिति छुट्टी है जिस की आवश्यकता अध्यापक के घर या परिवार में किसी संक्रामक रोग की मौजूदगी के परिणामस्वरूप पड़ती है।

(2) संगरोध छुट्टी मैडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अधिक से अधिक 21 दिन तक दी जा सकती है। विशेष हालतों में यह सीमा बढ़ाकर तीस दिन की जा सकती है। संगरोध के उद्देश्य से इस समय से अधिक आवश्यक छुट्टी को साधारण छुट्टी समझा जाएगा। संगरोध छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(3) संगरोध छुट्टी प्राप्त किसी भी अध्यापक को काम से गैर-हाजिर नहीं माना जाता और उसके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ता ।

(त) दीर्घावकाश

(1) दीर्घावकाश को आकस्मिक और विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष शैक्षिक छुट्टी के बिना अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है, बशर्ते कि दीर्घावकाश को छुट्टी के आगे और पीछे दोनों तरह से नही जोड़ा जाएगा ।

(2) विशेष हालतों को छोड़कर, दीर्घावकाश और अर्जित छुट्टी दोनों को मिला कर छः महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा ।

(3) जब दीर्घावकाश छुट्टियों की दोनों अवधियों के बीच पड़ता है जिसका मतलब कुल अवधि में काम से लगातार गैर हाजिरी हो, तो यह दीर्घावकाश छुट्टी का भाग माना जाएगा ।

(4) दीर्घावकाश की अवधि के लिए अध्यापक को उतना ही वेतन मिलता रहेगा जितना उसे काम पर हाजिर होने के समय मिलता था। अध्यापक इस वेतन के केवल आधे भाग के लिए अधिकृत होगा यदि उसने त्याग-पत्र के लिए नोटिस दे दिया है और इस नोटिस की अवधि दीर्घावकाश में या दीर्घावकाश के अन्तिम दिन के एक महीने के अन्दर खत्म होती हो ।

भाग—2

परिवीक्षा पर नियुक्त अध्यापक

परिवीक्षार्थी के रूप में परिवीक्षा की निश्चित शर्तों पर मूल पद के विरुद्ध नियुक्त अध्यापक को परिवीक्षा काल में वही छुट्टी दी जाएगी जो उसे उस समय स्वीकार्य होती है जैसे कि वह परिवीक्षा पर नहीं, मूल पद पर काम कर रहा होता। यदि किसी कारण-वश परिवीक्षार्थी की सेवाओं की बरखास्तगी प्रस्तावित की जाती है तो उसको मंजूर की गयी कोई भी छुट्टी परिवीक्षाकाल के खत्म होने की तिथि के आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए या इससे पहले की कोई तिथि होनी चाहिए जब उसकी सेवाएं सिंडीकेट के आदेश द्वारा बरखास्त की जाती हैं दूसरी ओर, यदि किसी अध्यापक को उसकी योग्यता की परख करने के लिए उस पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है जो मूल रूप में खाली नहीं, तो छुट्टी मंजूर करने के लिए उसे उस समय तक अस्थायी अध्यापक समझा जाएगा जब तक उसे पक्का नहीं कर दिया जाता। यदि यूनिवर्सिटी की स्थायी सेवा में लगे किसी व्यक्ति को उच्च पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा काल में उसे उन नियमों से वंचित नहीं किया जाएगा, जो उसके स्थायी पद पर नियुक्ति के समय लागू थे :

भाग—3

अस्थायी अध्यापक

अस्थायी अध्यापक निम्नलिखित शर्तों और अपवादों के अधीन, इन नियमों की व्यवस्था द्वारा विनियमित होगा :

(1) अर्जित छुट्टी

(क) अस्थायी अध्यापक अर्जित छुट्टी के लिए स्थायी अध्यापक की तरह अधिकृत होगा । पर अपनी सेवा के पहले साल में उसको नियमानुसार अर्जित छुट्टी मिलेगी,

(1) वास्तविक सेवा की अवधि का 1/60 वां भाग जमा

(2) उस अवधि, यदि कोई हो का 1/3 भाग जिस के दौरान उसे दीर्घविकाश में काम करने के लिए कहा गया हो ।

(ख) एक अस्थायी अध्यापक, जिसकी सेवा में कोई बाधा न पड़ी हो और उसे मूल स्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, उसको वही अर्जित छुट्टी मिलेगी जो उसे उस समय स्वीकार्य होती यदि उसकी पहली नौकरी स्थायी होती, और इस जमा छुट्टी में से पहले ली गई अर्जित छुट्टी को कम कर दिया जाएगा । इस विनियम की दृष्टि से छुट्टी काम में बाधा नहीं है ।

(2) अर्धवेतन छुट्टी

अस्थायी अध्यापक को कोई अर्धवेतन छुट्टी नहीं मिल सकेगी जब तक छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को यह पक्का विश्वास नहीं हो जाता कि अध्यापक इस छुट्टी के समाप्त होने पर काम पर वापस आ जाएगा ।

(3) परिवर्तित छुट्टी

अस्थायी अध्यापक अर्धवेतन छुट्टी के किसी भाग को परिवर्तित करने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

(4) असाधारण छुट्टी

अस्थायी अध्यापक की सूरत में असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी अवसर पर निम्न सीमा से बढ़ नहीं सकेगी ।

(क) एक बार में तीन महीने,

(2) उन हालतों में छः महीने जहां किसी अध्यापक ने लगातार सेवा के तीन साल पूरे कर लिए हों और छुट्टी के आवेदन-पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न किया गया हो ।

(ग) अठारह महीने जहां अध्यापक किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में तपेदिक, केन्सर या कोढ़ का इलाज करवा रहा हो ।

(घ) (1) 24 महीने—उन हालातों में जहां छुट्टी ऐसा अध्ययन करने के लिए आवश्यक हो जो यूनिवर्सिटी के हित में प्रमाणित माना गया हो बशर्ते कि असाधारण छुट्टी के प्रारम्भ की तिथि को उस अध्यापक ने लगातार सेवा के तीन साल पूरे कर लिए हों । जहां पर यह शर्त पूरी न हो, इतनी अवधि की असाधारण छुट्टी किसी अन्य प्रकार की देय और आवेदित । छुट्टी के साथ मिला कर मंजूर की जा सकती है [उपर्युक्त (क) के अधीन तीन महीने की असाधारण छुट्टी समेत], यदि अध्यापक इस छुट्टी के समाप्त होने की तिथि को तीन साल की लगातार सेवा पूरी कर लेता है ।

(2) जब कोई अध्यापक उसको मंजूर की गयी अधिकतम अवधि की असाधारण छुट्टी के खत्म होने पर काम पर हाजिर नहीं होता या यदि किसी अध्यापक को कम छुट्टी मंजूर की जाती है, वह ऐसी अवधि के लिए काम से गैरहाजिर रहता है जो मंजूर की गयी असाधारण छुट्टी को मिला कर उस सीमा से अधिक बढ़ जाए जिसके लिए उसे ऐसी छुट्टी उपर्युक्त (1) के अधीन मंजूर कर दी जाती, उसे नियुक्ति से त्यागपत्र दिए हुए माना जाएगा और तदनुसार उसको यूनिवर्सिटी सेवा में नहीं माना जाएगा, जब तक सिंडीकेट इस मामले की विशेष स्थिति को मुख्य रख कर कोई अन्य फ़ैसला नहीं कर देती ।

(5) अदेय छुट्टी, अध्ययन छुट्टी और सबेटिकल छुट्टी

अस्थायी अध्यापक अदेय छुट्टी, अध्ययन छुट्टी और सबेटिकल छुट्टी के अधिकृत नहीं होंगे ।

(6) दीर्घविकाश

(1) अस्थायी पद पर नियुक्त अध्यापक को तब ही आगामी ग्रीष्म दीर्घविकाश की अदायगी की जाएगी यदि उसने सारे शैक्षिक वर्ष में काम किया हो ।

(2) अन्य हालातों में दीर्घविकाश का वेतन अध्यापक को दिया जा सकता है यदि यह अस्थायी नियुक्ति पूरे या आंशिक आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए जारी रहे और अध्यापक दीर्घविकाश खत्म होने के प्रारम्भिक दिन काम पर हाजिर हो जाए और उसने दीर्घविकाश से पहले अन्तिम कार्यदिवस को भी काम किया हो ।

भाग—4

अनुबन्ध पर नियुक्त अध्यापक

अनुबन्ध पर नियुक्त अध्यापकों को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार छुट्टी दी जाएगी ।

भाग—5

अवैतनिक और अंशकालिक अध्यापक

यूनिवर्सिटी के अवैतनिक और अंशकालिक अध्यापक उन शर्तों पर छुट्टी के लिए अधिकृत होंगे जो शर्तें यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक अध्यापकों पर लागू होती हैं ।

चण्डीगढ़—160014 ए० सी० बांका
तिथि—फ़रवरी 12, 1986 डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में यूनिवर्सिटी की सामान्य मुहर से आज फरवरी 12, 1986 को मुद्रांकित ।

एच० एल० शर्मा
रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

URBAN BANKS DEPARTMENT

"THE ARCADE" WORLD TRADE CENTRE

Bombay-400 005, the 7th February 1986

No. UBD.BR.80/A.18-85/86.—In pursuance of Sub-section (2) of Section 36A read with Clause (za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' society has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the Society	*Union Territory*
Central Bank of India Staff Co-operative Thrift and Credit Society Ltd., Central Bank of India Building, Chandni Chowk, Delhi-6.	Delhi

KUM. I. T. VAZ
Chief Officer

STATE BANK OF INDIA

LOCAL HEAD OFFICE

New Delhi, the 1st February 1986

No. GMO/OO/833.—1. Shri J. C. Malhotra, Senior Management Grade Scale-IV assumed charge as Manager (SIB), Chandni Chowk, Delhi Branch as at the close of business on the 15th November, 1985.

2. Shri O. P. Chopra, Senior Management Grade Scale-IVA assumed charge as Manager (Personal Banking Division), New Delhi Main Branch with effect from the 7th December, 1985.

B. BHATTACHARYA
Chief General Manager

STATE BANK OF SAURASHTRA

HEAD OFFICE

Bhavnagar, the 7th February 1986

No. PER/46/GM/1482.—In pursuance of Regulation 55(1) of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959, the Board of Directors of the State Bank of Saurashtra have decided that the posts of Planning Officers, Personnel Officers, Office Managers, Development Officers, Administrative Officers, Administrative Secretaries at Regional Offices and Chief Managers, Manager, General Department, Chief Officer (Law), Office Manager and Administrative Secretary at Head Office be classified under category (1) and that they be authorised to exercise severally on behalf of the Bank the signing powers noted against category (1) in the Bank's Notification No. 27 published in the Gazette of India dated the 11th January, 1964, Part III—Section 4.

V. B. PAREKH
General Manager (Operations)

STATE BANK OF MYSORE

(Associate of the State Bank of India)

HEAD OFFICE

Bangalore-560 009, the 22nd February 1986

No. Shares/AGM/136.—The twenty-sixth Annual General Meeting of the shareholders of the State Bank of Mysore will be held at Sri Chowdaiah Memorial Hall, Gayathridevi Park Extension, (Near Sankey Tank), Vyalikaval, Banaglore-560003, on Saturday, the 29th March, 1986 at 11.30 A.M. (Indian Standard Time) to receive the report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made upto the 31st December, 1985 and the Auditors report on the Balance Sheet and Accounts.

P. V. SUBBA RAO
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208 001, the 15th January 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3.CCA(8)/10/85-86—In pursuance of Regulation 10(1)(iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1964,it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following member has been cancelled from the date mentioned against his name as he does not desire to hold the same.

S. No.	Membership No	Name & Address	Date of Cancellation
1	71323	Shri A. S. Soni, A C A, Finance & Accounts Officer, ONGC, Mehsan.	30-6-85

R. L. CHOPRA
Secretary

Madras-600 034, the 29th January 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/9/85-86—With reference to this Institute's Notification Nos. 4SCA(1)/12/75-76 dated 20th March 1976, 4SCA(1)/9/79-80 dated 15th March 1980, 4SCA(4)/14/80-81 dated 31st March 1981, 4SCA(1)/8/81-82 dated 17th March 1982, 4SCA(1)/10/81-82 dated 31st March 1982 4CA(1)/19/79-80 dt. 15-3-80, 4SCA(1)/4/82-83 dated 31st March 1983, 3SCA(4)/4/84-85 dated 22nd December 1984, 3SCA(4)/10/83-84 dated 31st March 1984 and 3ECA(4)/12/83-84 dated 31st March 1984, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1.	7283	Shri P. Gopinath Hegde, ACA, Chartered Accountant 61, Vasantha Nilaya 50 Feet Road, Muneshwar Nagar Bangalore-560 026	16-8-1985
2.	9665	Shri S. Ramakrishnan, FCA, M/s. R. Subramanian & Co. Chartered Accountants 36, Krishnaswamy Avenue, Mylapore, Madras-600 004	18-11-1985
3.	10111	Shri N. M. Ragunathan, ACA, M/s. R. Subramanian & Co. Chartered Accountants 36, Krishnaswamy Avenue, Mylapore, Madras-600 004.	25-11-1985
4.	11105	Shri M. Jayarajan, FCA, No. 11/6, I Cross, Cambridge Road, Ulsoor, Bangalore-560 008.	14-11-1985

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
5.	11525	Shri K. Ramachandran, ACA Post Box 6431 Dar Es Salaam. Tanzania	19-11-1985
6.	14181	Shri V. Lakshminarayanan, ACA M/s A. F. Ferguson & Co Chartered Accountants 32, Nungambakkam High Road, Madras-600 034	4-12-1985
7.	14701	Shri M. C. Sankaran, ACA P O Box 31915 Lusaka Zambia.	28-11-1985
8.	16490	Shri V. Madan Mohan Murthi, ACA Financial Accountant M/s Bostswana Meat Commission P. O. Box No 400 Lobatse, Bostswana	21-6-1985
9.	18596	Shri Prakash Bando Vaidya, ACA Chartered Accountant KMC Complex 59, Palace Road, (Adj. Mount Carmel College) Vasanthnagar Bangalore-560 052	30-9-1985
10.	19656	Shri D. Ravi, ACA 59, Kalyan, 4th Street Abhiramapuram Madras-600 018	5-11-1985
11.	19686	Shri G. Raghavan, ACA 73C/R, Salai Road, Sowmanasya Trichirapalli-18	6-11-1985
12.	19934	Shri V. Srinivasan, ACA Financial Controller Tanganyika Enamelware Factory Ltd. P. O. Box 20427, Dar Es Salaam, Tanzania	21-11-1985
13.	20108	Shri N. Rajendran, ACA Sr Accounts Officer M/s Bharat Heavy Electricals Ltd. High Pressure Boiler Plant, Tiruchirapall -620 014	15-11-1985
14.	20219	Shri K. Raghavan, ACA 1051, Sector 18-C Chandigarh-160 018	15-11-1985
15.	20601	Shri R. Mathivanan, ACA P. Box-4857 Ruwi, Sultanate of Oman	30-10-1985
16.	21569	Shri V. Krishnaswamy, ACA C/o. Ponds' (India) Ltd Middle Camp Chuba Block East District Sikkim-737 101.	29-11-1985
17.	32684	Shri P. V. Alexander, ACA Chesney 3D, Nilgiris Commander in Chief Road, Madras-600 105	19-4-1985

The 7th Febuary 1986

(CHARTERED ACCOUNTANS)

No. 3SC\(8) 2/85-86:—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulatinns, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cacelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to holds their Certificate of Practice.

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of CP Cancellation
1.	8015	Shri G. Santhanam, FCA FF-2, Housing Board Colony Salai Nagar Tiruchirapalli-620 003.	17-9-1985
2.	8507	Shri A. V. Krushnun, FCA Austral Plastics P. Ltd. 16, Kanniah Street T. Nagar, Madras-600017.	3-10-1985
3.	10649	Shri V. Ramakrishna Rao, FCA Door No. 16-1-4, Official Colony Coastal Batterya Road, Maharanipeta Visakhapatnam-530 002.	1-7-1983
4.	12014	Shri P. S. Ramakrishnan, FCA Bhagavathi Bhavanam 83/2, Ramalinga Nagar Coimbatore-641011.	28-3-1983
5.	14959	Shri K. Rangabalan, ACA Manager-Accounts M,s. Sree Rayalaseema Paper Mills Ltd. T. G. L. Road, Adoni-518 301.	14-11-1984
6.	16353	Shri M. Ziaudeen, FCA Finance & Administration Manager Express Printing Services Post Box No. 10263 Dubai.	17-9-1985
7.	18591	Shri K. Mallikarjuna Rao, ACA Chief Accountant M/s. Vinod Solvextracts P. Ltd., Andhra Bank Building II Floor, Vijayawada-520 001.	1-4-1984
8.	18604	Shri V. Sudhakar, FCA 3-5-1091/6 Plot No. 48 Venkateswara Colony Hyderabad.	17-1-1986
9.	19185	Shri R. Ravindran, ACA 61, Vysial Street Coimbatore-641 001.	1-4-1985
10.	19340	Shri Pandyala Jayakumar, FCA 27-17-57 Peddibhotlavan Street, Governor pet, Vijayawada-520 002.	14-11-1985
11.	19424	Shri Chintalepudi Srihari, ACA 22, S.B.I. Colony Near Veternary Hospital Jail Road, Visakhapatnam.	14-11-1985

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of CP Cancellation
12.	20023	Shri B. Ugamraj Nahar, FCA Flat No. 203, Mogul Apartments 5-9-59, Fateh Maidan Hyderabad-500 001.	1-4-1985
13.	20039	Shri Arun K. Varma, FCA C/o. K.P.R. Thirupad, Advocate Darbar Hall Road, Cochin-682 016.	8-6-1985
14.	20082	Shri K. Balasubramanian, ACA No. 7, 7th Street Lake Area, Nungambakkam Madra-600 034.	30-6-1985
15.	20360	Shri Jacob Mathew, ACA 303, Congford House 22, Congford Gardon Bangalore-560 025.	1-4-1985
16.	20464	Shri S. Rafi Ahamed, ACA Asst. Manager I/C K.D.D.C. Ltd. No. 87, Almas Centre M.G. Road, Bangalore-560 001.	20-3-1984
17.	21383	Shri S. Sampath Kumar, ACA Plot No. 41 Krishnapuri West Nehru Nagar Secunderabad-500 026.	23-6-1982
18.	21892	Shri M. Venkata Reddy, ACA H. No. 8-3-168/20/32 Siddarth Nagar North Hyderabad-500 890.	1-4-1985
19.	22581	Shri K. Balasubramanian, ACA Plot No. 93, Kangeya Nellore Road, Vellore-632 006. N. A. Dist.	12-11-1985
20.	22774	Shri R. Sundaram, ACA 1669, Rajaji Nagar II Stage Subramania Nagar Bangalore-560 010.	29-5-1985
21.	22793	Shri S. Nagesh Babu, ACA No. 43, Old Tharagupet Bangalore-560 053.	22-10-1985
22.	22815	Shri J. A. Patric Rodrigo, ACA 12, C.Sahaya Madha Street Ganapolivupuram Madurai-625 016.	12-3-1985
23.	22823	Shri S. Suryanarayanan, ACA 52, Sagar Tarang 81/83, Bhulabhai Desai Road, Bombay-400 036.	1-4-1985
24.	22970	Shri R. Anantha Padmanaban, ACA First Floor, 67, Lloyds Road, Madras-600 014.	31-3-1985
25.	23241	Shri J. S. Mani, ACA Door No. 49-18/2-1 Lalithanagar Visakhapatham 530 016.	1-4-1985
26.	23538	Shri P. Srinivasan, ACA 5, Ramaduja Nagar K. H. Road, Madras-600 023.	17-12-1985
27.	23630	Shri V. K. Prasada Rao, ACA Finance Officer Strogger Division Indian Telephone Industries Ltd. Doravani Nagar Bangalore-560 016.	17-6-1985
28.	23970	Shri S. S. Arunagiri, ACA 28-A, Lakshmipuram 3rd Street Madurai-625 001.	16-7-1985
29.	24327	Shri J. Rangarajan, ACA M 19E, Gitanjali Complex 15th Avenue Ashok Nagar Madras-600 083.	28-8-1985
30.	24388	Shri R. Thiyagarajan, ACA Door No. 12, Plot No. 15 Shaw Wallace Colony Brindavan Nagar Adambakkam Madras-600 088.	4-10-1985

R. L. CHOPRA
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd February 1986

No. GSR 1(1)-2/72-Estt.I(A).Col.II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2) of Section-17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the ESIC (Recruitment) Regulations, 1965 in so far as they relate to the post of Director of Administration, except in respect of things done or ommitted to be done before such supersession, the Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Director of Administration, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Director of Administration) Recruitment Regulations, 1986;

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to this regulation.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. :

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post; provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax : Where the Director General of the Corporation is of opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this regulation with respect to any class or category of person.

6. Savings : Nothing in these regulations shall affect rseervation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

B. S. RAMASWAMY
Director-General

SCHEDULE

Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Director of Administration	1* (1984)	Group 'A'	Rs. 2000-125/2-2250	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable@	2 yrs.	By promotion, failing which by transfer on deputation@	**PROMOTION:** Joint Insurance Commissioner/ Regional Director Grade-I with 5 years regular service in the grade., failing which Joint Insurance Commissioner/ Regional Director Grade-I with years regular combined service in the grades of Regional Director Grade-II/Joint Insurance Commissioner and Regional Director Grade-II/Director (O & M & Training), etc.	1. Group 'A' **Departmental Promotion Committee,** consisting of,— (for considering of promotion) :— (i) Chairman/ Member, Union Public Service Commission Chairman— (ii) Secretary/ Additional Secretary, Ministry of Labour, Govt. of India —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while selecting an officer for appointment to the post

*Subject to variation dependent on work-load

@NOTE : The suitability of the regular holder of the post of Director of Administration in the scale of pay of Rs. 1800-2000 prior to up gradation of the post in the scale of pay of Rs. 2000-2250 will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgraded post. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution.

SCHEDULE—*Contd.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											TRANSFER ON DEPUTATION: (i) Officers of the IAS with 14 years service as such, or (ii) Officers under the Central Government (including CSS and Central Services Group 'A') holding analogous posts or with 5 years regular service in the post in the scale of Rs. 1500-2000 or equivalent and possessing experience in administration, establishment and accounts matters. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment	(ii) Director General, Employees, State Insurance Corporation —Member Group 'A' **Departmental Promotion Committee,** consisting of,—(for considering confirmation):— (i) Director General, Employees' State Insurance Corporation —Chairman (ii) Financial Adviser & Chief Accounts Officer, ESI Corporation —Member (iii) Medical Commissioner, ESI Corporation —Member	

on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall not ordinarily exceed 5 years).

NOTE: The proceedings of the Copartmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

B. S. RAMASWAMY
Director General

CANTONMENT BOARD, BAKLOH CANTONMENT

Bakloh Cantonment, the 14th November 1984

S.R.O. 54-4/2.—WHEREAS draft of bye-laws for imposing a tax on persons carrying on certain trades, professions and callings in the Cantonment of Bakloh was published with Cantonment Board's Notice No. CBB. 54-4/2 dated the 14th November, 1984 as required by section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), for inviting objections and suggestions before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of said notice;

AND WHEREAS the said notice was put on the Cantonment Notice Board on the 14th November 1984;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received from the public on the said draft have been duly considered by the Cantonment Board;

AND WHEREAS the Central Government have duly approved and confirmed the said draft of the bye-laws as required by sub-section (1) of section 284 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the said Cantonment Board hereby makes the following bye-laws, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These bye-laws may be called Bakloh Cantonment Profession Tax Bye-laws, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Rates of profession tax.*—A profession tax shall be imposed on all persons carrying on, within the limits of Bakloh Cantonment, any one or more of the trades and professions or callings specified in the second column of the schedule annexed hereto at the rates specified in the third column thereof :

Provided that any military person carrying on any one or more of the said trades and professions or callings in connections with the performance of his military duty shall not be liable to the payment of tax :

Provided further that any person carrying on more than one trade, profession or calling in the same premises shall not be required to pay as such tax, an amount in excess of Rs. 150/- per annum or part of a year in respect of all such trades, professions and callings :

Provided also that any person carrying on more than one trade, profession or calling in more than one place, within the Cantonment limits shall not be required to pay as such tax, an amount in excess of Rs. 250/- per annum or part of a year in respect of all such trades, professions or callings carried on in each place.

THE SCHEDULE

PROFESSION TAX

Sl. No.	Class of persons liable to the payment of the tax	Rate of tax per year or part of a year
1	2	3
		Rupees
1.	Regimental Contractor (to include all trades within his Unit contract)	60/-
2.	C.S.D. Canteen run by the unit	40/-
3.	A.S.C. Meat/Fish/Eggs Contractor	50/-
4.	A.S.C. Vegetable Contractor	50/-
5.	A.S.C. Wood Contractor	50/-
6.	M.E.S. Furniture and Supply Contractor	50/-
7.	Cantonment Board supply contractor	30/-
8.	Building and Road Contractor	60/-
9.	Resin Contractor	70/-
10.	Dealer in boots and shoes	20/-
11.	Repairer of boots and shoes	8/
12.	Dealer in onion/patato	12/-
13.	Maker of bread, biscuit and cakes	20/-
14.	Maker or seller of ghee	20/
15.	Tobacco seller (retail), cigarettes or betal seller	15/-
16.	Stockist of cigarettes/tobacco	20/-
17.	Proprietor of tailoring shop	40/-
18.	Tailor	12/-
19.	Seller of fish/meat (dressed)	20/-
20.	Seller of fruit and vegetable	15/-
21.	Sweet shop (including milk, curd, tea, etc.)	30/-
22.	Dhaba (A small hotel only meant for meals)	20/-
23.	Dealer of parched grain	12/-
24.	General merchant/pansari (dealing in all sorts of grains, spices etc.)	40/-
25.	Dealer in sugar (wholesale)	20/-
26.	Dealer in sugar (retail)	15/-
27.	Seller of Indian made foreign liquor	30/-
28.	Seller of country liquor	30/-
29.	Seller of sewing machines or assessories	20/-
30.	Cloth merchant	30/-
31.	Proprietor of cinema	40/-
32.	Photographer or dealer in photo goods	25/-
33.	Dealer in electric goods	25/-
34.	Dealer/seller of tea leaf	16/-
35.	Dealer/seller of inflammable material including kerosene oil, petrol, liquified petrolium gas etc	20/-
36.	Dealer of televisions	40/-
37.	Repairer of televisions	25/-
38.	Repairer of radio	10/-
39.	Dealer in radio sets	20/-
40.	Dealer in furniture	20/-
41.	Dealer in timber (planks, scants, firewood)	40/-
42.	Dealer of toilet requisites.	7/-
43.	Dealer in oil and gas stove accessories	12/-
44.	Dealer of umbrellas	10/-
45.	Dealer in stainless steel utensils	25/-
46.	Dealer/maker of carpets	25 -
47.	Hawker of articles other than food or drinks	5 -
48.	Repairer of clocks and watches	12 -
49.	Seller of clocks and watches	25 -
50.	Gold smith or silversmith	16 -
51.	Black smith or tin smith	15 -
52.	Medical practitioner (Allopath, Homeopath, Ayurvedic and Unani)	20 -
53.	Chemist and druggist	20 -
54.	Seller of stationery	20 -
55.	Book seller	10 -
56.	Seller of wool	15 -
57.	Seller of toys	10 -
58.	Seller of crookery	15 -
59.	Book binder	5 -
60.	Painter	10 -
61.	News papers agents	20 -
62.	Keeper of poultry farm	20 -
63.	Electric wiring contractor	15 -
64.	Hardware	15 -
65.	Barber	5 -
66.	Carpenter	10 -
67.	Dyer-cum-washerman	8 -
68.	Dealer of readymade garments	15 -

JOGNESWAR SHARMA
(File No. 53/11/G/L & C/75) Cantonment Executive Officer
Bakloh Cantonment

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 13th February 1986

No. UT/DPD/320(P&R)4/Vol.XI/85-86.—The Executive Committee of the Unit Trust of India at its meeting held on 24th December 1985 has approved the amendment to the provisions of Unit Linked Insurance Plan, 1971 (effective from July 1, 1985). The newly inserted provision after clause 18 which will read as follows is published below for general information :

"18(A) on completion of the 10 year or 15 year period of saving, as the case may be, a member under the 10 year plan shall be paid a maturity bonus of 5% of the target amount and a member of the 15 year plan shall be paid 7.5% of the target amount as maturity bonus. It is hereby clarified that the bonus of 5% and 7.5% respectively as detailed above shall be only of the target amount and will have no relationship whatsoever with the final repurchase price received by a member".

A. P. KURIAN
Chief General Manager

DAMODAR VALLEY CORPORATION

No. 118, dated 10-1-1986.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948, (14 of 1948), the Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Damodar Valley Corporation Service Regulations, published with Notification of the Damodar Valley Corporation No. 5, dated the 28th January, 1957, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Damodar Valley Corporation Service (.....Amendment) Regulations, 1985

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Damodar Valley Corporation Service Regulations, for regulation, 108A(3) the following regulations shall be substituted, namely :—

"Regulation 108A(3).—Every employee, whether recruited before or after the 18th January, 1964 who holds no substantive appointment in any permanent post but is subscribing or is required to subscribe to the Contributory Provident Fund (DVC) or the Employees' Provident Fund (DVC) as the case may be, in terms of Regulation 108, shall on being substantively appointed against a permanent post at a later date or on his retirement from service on attaining the age of superannuation after rendering not less than twenty years temporary service or on his being declared to be permanently incapacitated for further service by the appropriate medical authority after he has rendered temporary service of not less than twenty years, be allowed to exercise his option in writing either to continue to so subscribe or to come under the Pension-cum-Gratuity Scheme within three months from the date of issue of the order communicating the substantive appointment in a permanent post or on attaining the age of superannuation after rendering not less than twenty years' temporary service or declared permanently incapacitated for further service by the appropriate medical authority after he has rendered temporary service of not less than twenty years as the case may be".

EXPLANATORY MEMORANDUM

Regulation 98(2)(d) of DVC Service Regulations provides that an employee against whom a disciplinary enquiry is being conducted may take the assistance of another employee approved by the Disciplinary Authority. However, there is no restriction on the number of cases in which an employee can assist other employees at a time. The Government of India, however, under the Discipline & Appeal Rules has laid this limit in 2 cases at a time for Government employees. The BPE has now advised vide their letter No. 15(4)/84-GM dated 3-2-1984 to incorporate this limit in the public sector organisations as well. Accordingly, it is proposed to amend the DVC Service Regulation 98(2)(d) by adding the following paragraph at the end of it.

"Provided the employee may not take the assistance of any other employee who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance".

No. 117, dated 16-10-1985.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948), the Corporation with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, further to amend the Damodar Valley Corporation Service Regulations published in the Damodar Valley Corporation Notification No. 5 dated the 28th January, 1957, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Damodar Valley Corporation Service (Amendment) Regulations, 1985.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Damodar Valley Corporation Service Regulations, in Regulation 98(2)(d), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided the employee may not take the assistance of any other employee who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance."

Sd./- ILLEGIBLE
Deputy General Manager &
Additional Secretary

Note :—The principal regulation 98(2)(d) was published in the Gazette of India vide Damodar Valley Corporation Notification No. 5, dated the 20th January, 1957 and no amendment has been made thereafter to the said regulation.

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT.

Ambala Cantt., the 15 February 1985

ADDANDA

No.45 (Gen.)/8514900—Add the following Wakf property in the Gazette of India, Part III Section 4 in continuation of the properties already published in the Gazette of India Part III Section 4, October 3, 1970 (Asvina 11, 1892) of District— ————————.

S. No.	(i) Name of Wakfs	(ii) Location of wakfs (a) Districts / (b) Tehsil	(c) Village where situated / (d) Site on which situated	(iii) Details of wakf properties (a) Area	(b) Boundaries	(c) Value Rs.	(iv) Date or year of creation of wakfs / (v) Details of wakf deeds	(vi) Gross receipts / (vii) Grants received	(viii) Nature of objects of each wakf	(ix) Gross income of properties comprised in each wakf.	(x) Amount of L.R., cess rates and taxes payable in respect of such property. / (xi) Expenses incurred in the realisation of income	(xii) How the wakf is administered / (xiii) Name of Mutwalli / (xiv) Pay or remuneration of Mutwalli of each wakf.	(xv) Any other particulars (Remarks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Graveyard	Hissar Hansi	Badchh aper	K—M 3—06	118	10000/-	Not Known	—	Religious	—	—	Under the Management of the Secretary Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. as Ex-Officio Mutwallii.	
2	Graveyard	Rohtak Meham	Seeman	4—13 10—18 0—09	449 450 451	20000/- 40000/- 2500/-	Do. Do. Do.	— — —	Do. Do. Do.	— — —	— — —	Do. Do. Do.	
3	Graveyard	Rohtak Rohtak	Jasiya	18—07	180	75000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
4	Khankah	Karnal Karnal	Jamba	4—02 14—09	22/32 28/29	20000/- 70000/-	Do. Do.	— —	Do. Do.	— —	— —	Do. Do.	
5	Graveyard	Bhatinda Talwandi Sabo	Maurkalan	19—05	252/1	100000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	
6	Takia	Amritsar Taran Tarn	Malia	E.44 ft. W. 44 ft. N. 60 ft. S. 60 ft.	Gali House of Jaspal Singh House of Hazara Singh House of Amar Singh	29000/-	Do.	—	Do.	—	—	Do.	

The above items are shown as gairmumkin Graveyard, Khankah and Takia in the jamabandi hence these are Sunni Wakfs which have been entered in Kitabul-Aukaf and register.

CORRIGENDUM

No. 45 Gen. Punb. 437/85/14 898—The following corrigendum is issued in respect of the wakf property detailed below published in the Govt. of India Gazette, Part III, Section IV 19th December, 1970, in respect of village Teek, Tehsil Kaithal, Distt. Karnal, under sub-section (II) of section 5 of the Wakf Act, 1954. This corrigendum has become necessary owing to a printing mistake.

S. No.	Column No.	Printing entry in the Gazette.	Correct entry which may be read in place of existing ent
1810	2	Mosque	Dera Majeed Shah
Do.	6	161	Chela Sabir Shah 162

K. SHEIKH AHMED.
Secretary
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

No. 1-86/G.R.—The Central Government (Ministry of Human Resource Development have accorded approval vide their letter No. F. 15-4/79-Desk(U), dated 21-1-1986 to the 'Revised Regulations Governing Leave to Teachers of the University', which shall read as under :—

Note :—Teachers who were in the University Service before the enforcement of these Regulations, shall have option to be governed by the old Regulations contained in this chapter, i.e., Chapter VI, Regulation 12.1 appearing at pages 148—154 of Calendar, Volume I, 1984.

1. *Definition*

In these Regulations—

(i) Leave includes "Earned Leave", "Half Pay Leave", "Commuted Leave" "Extraordinary Leave" and "Maternity Leave".

(ii) "Earned Leave" means leave earned on the basis of actual service rendered including the vacations.

(iii) "Half Pay Leave" means leave earned in respect of completed years of service calculated according to the regulations hereinafter contained.

(iv) "Commuted Leave" means leave as provided hereinafter.

(v) "Completed years of Service" means continuous service of the specified duration under the University and includes periods spent on duty as well as on deputation with Government and leave, including extra-ordinary leave, unless otherwise provided.

2. *Right of Leave* :

Leave cannot be claimed as a matter of right and when the exigencies of service so demand, leave of any description may be refused or revoked by the leave sanctioning authority.

3. *Commencement and Termination of Leave* :

(i) Leave ordinarily begins from the date on which leave as such is actually availed of and ends on the day preceding that on which duty is resumed.

(ii) Sunday or other public holiday (except vacations) may be prefixed as well as suffixed to leave.

Note : Teachers are normally expected to be present on the last day of the term and on the opening day of the term after a vacation. However, in exceptional or special circumstances, combination of vacations might be allowed to any kind of leave except casual leave.

4. *Return to duty on expiry of leave*:

Except with the permission of the authority which granted the leave, no person on leave may return to duty before the expiry of the period of leave granted to him.

5. *Combination of Leave* :

Except as otherwise provided any kind of leave under these regulations may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.

6. *Conversion of one kind of leave into another kind* :

(i) At the request of a teacher the University may convert any kind of leave, including extra-ordinary leave retrospectively into leave of a different kind which may be admissible as on the date on which the conversion is sought; but a teacher cannot claim such conversion as a matter of right.

(ii) If one kind of leave is converted into another, the amount of leave salary admissible shall be recalculated and arrears of leave salary paid or amounts overdrawn recovered, as the case may be.

7. *Rejoining of duty on return from leave on Medical grounds* :

A teacher who has been granted leave on Medical certificate will be required to produce a medical certificate of fitness before resuming duty in such manner and from such persons as may be prescribed.

8. Leave should always be applied for and got sanctioned before it is availed except in cases of emergency and for adequate reasons.

9. A leave account shall be maintained for each teacher in the Department/concerned.

10. Continuous temporary service followed by permanent service without any break shall be included in permanent service for the purposes of computation of leave.

11. *Kinds of Leave Admissible* :

The following kinds of leave would be admissible to teachers :

Part I—Permanent Teachers

(i) Leave treated as duty—

Casual Leave, Special Casual Leave, Special Academic Leave and Duty Leave.

(ii) Leave earned by duty—

Earned Leave, Half Pay Leave and Commuted Leave.

(iii) Leave not earned by duty—

Extra-ordinary Leave and Leave not due.

(iv) Leave not debited to leave Account—

(a) Leave on ground of Health, Maternity Leave and Quarantine Leave.

(b) Leave for academic pursuits : Study Leave and Subbatical Leave (prescribed separately).

The Syndicate may in exceptional cases and reasons to be recorded, grant any other kind of leave subject to such terms and conditions as it may deem fit to impose.

(A) *CASUAL LEAVE*

(i) A whole-time teacher of the University shall be eligible for Casual Leave for domestic and private affairs as under :—

(a) With service up to 10 years—10 days in a year

(b) With service between 10 and 20 years—15 days in a year.

(c) Exceeding 20 years—20 days in a year.

Provided that—

(1) Casual leave shall not be granted for more than 16 days at a time.

(2) a teacher shall be eligible for casual leave according to the higher slab in the year in which he completes his 10th or 20th year of service.

(3) leave for antirabic treatment may be granted up to 16 days to proceed to a centre or institute for treatment. If in a special case for such treatment leave for more than 16 days is necessary, special casual leave may be granted up to one month on the production of the certificate from the centre or Institute.

(ii) Casual leave for any year cannot be carried over to the next year.

(iii) Casual leave shall not be combined with any kind of leave.

(iv) Public holidays falling within the period of casual leave shall not be counted as part of casual leave.

(v) A teacher shall not leave his headquarters during casual leave without permission.

(a) Except in case of emergency, a teacher shall obtain the orders of sanctioning authority before availing of casual leave.

(b) All applications for leave for period in excess of two days on 'medical grounds' submitted from home should be supported by a medical certificate.

(vi) The casual leave account will be maintained annually from 1st July to June 30 of the succeeding year. All casual leave accounts will be closed on June 30 and new accounts opened on 1st July irrespective of the fact that a teacher takes a spell of casual leave which includes the last few days of June and the first few days of July. Thus, if a teacher takes leave from the 26th June to 5th July, the period 26th June to 30th June will be debited to his leave account for that year and the period from 1st July to 5th July will be debited to his leave account of the next year.

(B) *SPECIAL CASUAL LEAVE AND SPECIAL ACADEMIC LEAVE*

(i) Special casual leave not exceeding ten days in an academic year may be granted to a teacher—

(a) to conduct examination of a University, Public Service Commission, Board of Examination or other similar-bodies/Institutions;

(b) to inspect academic institutions attached to a Statutory Board etc.;

(c) to participate in a literary scientific or educational conference, symposium or seminar or cultural or athletic activities conducted by Bodies recognised by the University; or

(d) to do such other work as may be approved by the Vice-Chancellor as academic work.

NOTE : In computing the ten days leave admissible, the days of actual journey, if any, to and fro the places where such conference/activity takes place will be excluded.

(ii) In addition special casual leave to the extent mentioned below may also be granted—

(a) to undergo sterilization operation (vasectomy or salpingectomy). Leave in this case will be restricted to *six* working days;

(b) to a female teacher who undergoes non-perurperal sterilization. Leave in this case will be restricted to fourteen days.

(iii) In addition to special casual leave, special academic leave up to 30 days in an academic year may be granted with the permission of the Vice-Chancellor for such work as may be approved by the Vice-Chancellor as academic work provided it does not interfere with the academic work of the teacher.

(iv) Special casual leave and special academic leave cannot be accumulated nor can it be combined with any other kind of leave except casual leave. It may be granted in combination with holidays or the vacation.

(C) *DUTY LEAVE*

(i) Duty leave may be granted for—

(a) attending conferences, congresses, symposia and seminars on behalf of the University or with the permission of the University;

(b) delivering lectures in institutions and Universities at the invitation of such institutions or Universities received by this University, and accepted by the Vice-Chancellor;

(c) working in another Indian or Foreign University, any other agency, institution or organisation when so deputed by the University

(d) working on a delegation of committee appointed by the Government of India, State Government, the University Grants Commission, a sister University or any other Academic Body; and

(e) for performing any other duty for the University.

(ii) The duration of leave should be such as may be considered necessary by the sanctioning authority on each occasion.

(iii) The leave may be granted on full pay. Provided that if the teacher receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses he may be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances.

(iv) Duty leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.

(v) Duty leave under sub-clause (a) to (d) of clause (i) cannot be availed of in anticipation of its sanction except with the prior written permission of the Vice-Chancellor.

(D) *EARNED LEAVE*

(i) Earned leave admissible to a teacher shall be—

(a) 1/30th of actual service including vacation plus

(b) 1/3rd of the period, if any, during which he is required to perform duty during vacation.

NOTE : For purpose of computation of period of actual service, all periods of leave except casual, special casual, special academic and duty leave shall be excluded.

(ii) Earned leave at the credit of a teacher shall not accumulate beyond 180 days. The maximum earned leave that may be sanctioned at a time shall not exceed 120 days. Earned leave exceeding 120 days may, however, be sanctioned in the case of higher

study or training or leave on medical certificate or when the entire leave or a portion thereof is spent outside India. The competent authority may allow this leave to be availed of, subject to a maximum of 120 days on attaining the age of retirement, if it was applied for in good time and was refused in the interest of the University.

NOTE 1: When a teacher combines vacation with earned leave, the period of vacation shall be reckoned as leave in calculating the maximum amount of leave on average pay which may be included in the particular period of leave.

NOTE 2: In cases where only a portion of the leave is spent outside India, the grant of leave in excess of 120 days shall be subject to the condition that the portion of the leave spent in India shall not in the aggregate exceed 120 days.

(E) *HALF PAY LEAVE*

Half pay leave admissible to a permanent teacher shall be 20 days for each completed year of service. Such leave may be granted on medical certificate for private affairs or for academic purposes.

(F) *COMMUTED LEAVE*

Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate to a permanent teacher subject to the following conditions—

(i) Commuted leave during the entire service shall be limited to a maximum of 240 days.

(ii) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due.

(iii) The total duration of earned leave and commuted leave taken in conjunction shall not exceed 240 days at a time. Provided that no commuted leave shall be granted under the regulations unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the teacher will return to duty on its expiry.

(G) *EXTRAORDINARY LEAVE*

(i) A permanent teacher may be granted extraordinary leave.

(a) When no other leave is admissible, or

(b) When other leave is admissible, the teacher applies in writing for the grant of extra-ordinary leave.

(ii) Extraordinary leave shall always be without pay and allowances. Extraordinary leave shall not count for increment except in the following cases—

(a) Leave taken on medical certificates;

(b) Cases where the Vice-Chancellor is satisfied that the leave was taken due to cases beyond the control of the teacher, such as inability to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural calamity, provided the teacher has no other kind of leave to his credit;

(c) Leave taken for prosecuting higher studies; and

(d) Leave granted to accept an invitation to a teaching post or fellowship or research-cum-teaching post or on assignment for technical or academic work of importance.

(iii) Extraordinary leave may be combined with any other leave except casual leave and special casual leave provided that the total period of continuous absence from duty on leave (including periods of vacation when such vacation is taken in conjunction with leave) shall not exceed three years except in cases where leave is taken on medical certificate. The total period of absence from duty shall in no case exceed five years in all.

(iv) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

(H) *LEAVE NOT DUE*

(i) Leave not due may, at the discretion of the Vice-Chancellor be granted to a permanent teacher for a period not exceeding 360 days during the entire service, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all may be otherwise than on medical certificate. Such leave shall be debited against the half pay leave earned by him subsequently.

(ii) 'Leave not due' shall not be granted unless the Vice-Chancellor is satisfied that as far as can reasonably be foreseen the teacher will return to duty on the expiry of the leave and earn the leave granted.

(iii) A teacher to whom 'Leave not due' is granted shall not be permitted to tender his resignation from services so long as the debit balances in his leave account is not wiped off by active service, or he refunds the amount paid to him as pay and allowances for the period not so earned. In a case where retirement is unavoidable on account of reason of ill health incapacitating the teacher for further service, refund of leave salary for the period of leave still to be earned may be waived by the Syndicate.

Provided further the Syndicate may, in any other exceptional case waive, for reasons to be recorded, the refund of leave salary for the period of leave still to be earned.

(I) *STUDY LEAVE*

(i) Study leave may be granted to a permanent whole-time teacher (other than a Professor of the university) with not less than two years continuous service, to pursue a special line of study or research directly related to his work in the university or to make a special study of the various aspects of University Organisation and methods of education giving full plan of work.

(ii) Study leave shall be granted on the recommendation of the Advisory Committee, but leave shall not be granted for more than two years, save in very exceptional cases in which the Syndicate is satisfied that such extension is unavoidable on academic grounds and necessary in the interest of the University.

The period of Study Leave shall, in no case, exceed three years.

(iii) Study Leave shall not be granted to a teacher who is due to retire within three years of the date on which he is expected to return to duty after the expiry of Study Leave.

(iv) Study Leave may be granted more than once provided that not less than five years have elapsed after the teacher returned to duty on completion of earlier spell of Study Leave. For subsequent spell of Study Leave, the teacher shall indicate the work done during the period of earlier leave as also give details of work to be done during the proposed spell of Study Leave.

(v) No teacher who has been granted Study Leave shall be permitted to alter substantially the course of Study or the programme of research without the permission of the Syndicate When the course of Study falls short of Study Leave sanctioned, the teacher shall falls short on the conclusion of the course of Study unless the previous approval of the Syndicate to treat the period of short-fall as Extra-Ordinary leave has been obtained.

(vi) The teachers granted Study Leave would be entitled to continue to draw their total emoluments for the duration of the Study Leave as are applicable to teachers granted fellowships under the Faculty Improvement Programme of the University Grants Commission except the living expenses allowance of

Rs. 250/- p.m. The necessary increment will also be sanctioned as and when due. However, the amount of emoluments payable to the teachers on Study Leave shall be reduced subject to the provisions of Sub-clause (vii) and (viii) below.

(vii) The amount of scholarship/fellowship or other financial assistance that a teacher granted Study Leave has been awarded, will not preclude his being granted Study Leave with pay and allowances but the scholarship etc. so received shall be taken into account in determining the pay and allowance on which the Study Leave may be granted.

The following guidelines may apply while determining the admissibility of pay and allowance where financial assistance is received by a teacher is :

(a) $ 10,000 or above per annum—leave shall be granted without pay;

(b) $ 5,000 and above but less than $10,000 per annum—leave on half pay; and

(c) Below $ 5,000 per annum—leave with full pay.

(viii) If a teacher, who is granted Study Leave, is permitted to receive and retain any remuneration in respect of part-time employment during the period of Study Leave, he shall ordinarily not be granted any Study Leave salary but in cases, where the amount of remuneration received in respect of part-time employment is not considered adequate, the Syndicate may determine the Study Leave salary payable in each case.

NOTE : It shall be the duty of the teacher granted Study Leave to communicate immediately to the University the amount of financial assistance in any form received by him during the course of Study Leave from any person or Institution whatsoever.

(ix) Subject to the maximum period of absence from duty on leave not exceeding three years, study leave may be combined with earned leave, half-pay leave, extra-ordinary leave or vacation provided that the earned leave at the credit of the teacher shall be availed of at the commencement of the study leave. When study leave is taken in continuation of vacation, the period of study leave shall be deemed to begin to run on the expiry of the vacation.

(x) The period of study leave shall count as service for purposes of retirement benefits, provided that the teacher rejoins the University on the expiry of his study leave, and serves for the period for which the bond has been executed.

(xi) Study Leave granted to a teacher shall be deemed to be cancelled in case it is not availed of within six months of its sanction.

Provided that where study leave granted has been so cancelled, the teacher may apply again for such leave.

(xii) A teacher availing of study leave shall undertake that he shall serve the University continuously for double the period of study leave subject to a maximum of three years from the date of his resuming duty after expiry of the study leave.

(xiii) A teacher—

(a) who is unable to complete his studies within the period of study leave granted to him, or

(b) who fails to rejoin the service of the University on the expiry of his study leave, or

(c) who rejoins the service of the University but leaves the services without completing the prescribed period of service after rejoining the service, or

(d) who within the said period is dismissed or removed from the service by the University.

shall be liable to refund to the University, the amount of leave salary and allowances and other expenses, incurred on the teacher or paid to him or on his behalf in connection with the course of study :

Provided that if a teacher had served in the University for a period of not less than half the period of service under the Bond on return from study leave, he shall refund to the University half of the amount calculated as above. In case the teacher has been granted study leave without pay and allowances, he shall be liable to pay to the University an amount equivalent to his four months pay and allowances last drawn as well as other expenses incurred by the University in connection with the course of study.

Explanation :—If a teacher asks for extension of study leave and is not granted the extension but does not rejoin duty on the expiry of the leave originally sanctioned, he will be deemed to have failed to rejoin the service on the expiry of his leave for the purpose of recovery of dues under these regulations.

(c) Notwithstanding the above, the Syndicate may order that nothing in these regulations shall apply to a teacher who within three years of return to duty from study leave is permitted to retire from service on medical grounds. Provided further that the Syndicate may, in any other exceptional case, waive or reduce, for reasons to be recorded the amount refundable by a teacher under these regulations.

(xiv) (a) After the leave has been sanctioned the teacher shall, before availing of the leave, execute a bond in favour of the University in the prescribed form undertaking to serve the University for not less than double the period of study leave sanctioned to him on full, half of no pay subject to a maximum period of three years.

(b) In addition to executing a bond as aforesaid the teacher shall have to provide two sureties when study leave is granted to him on full pay and one surety when study leave is granted to him on half pay or no pay and given security of immovable property to the satisfaction of the University or a Fidelity Bond of an Insurance Company, or a Guarantee by a Scheduled Bank. The sureties furnished should be acceptable to the University. Where the two sureties or the one surety, as the case may be, provided by the teacher are those who are permanent teachers of the institution to which the teacher belongs, the University may, in its descretion, waive the additional requirement of getting security of immovable property or a Fidelity Bond of an Insurance Company or a Guarantee by a Scheduled Bank. The surety clause shall form part of the study leave bond and the persons giving surety shall be liable to pay to the University the amount recoverable from the teacher concerned on his failure to fulfil the obligations of the Bond.

(xv) A teacher who has been granted study leave for pursuing studies towards his doctorate shall submit to the Registrar six monthly reports of progress in his studies through his supervisor or the Head of the Institution. In case of others, the teacher concerned may send the report of the work done by him directly to the Registrar. These reports shall reach the Registrar within one month of the expiry of every six months of the study leave. If the report does not reach the Registrar within the time specified, the payment of salary may be deferred till the receipt of such report.

(J) *SABBATICAL LEAVE*

1. Professors in the University not being eligible for study leave shall be eligible for grant of Sabbatical Leave for a period of one year at the end of every six years of continuous service in the Professor's grade in the Univer-

sity for undertaking study, research and writing purposes within the country or abroad.

OR

(i) Professors of the University who have completed three years of service may be granted Sabbatical Leave to undertake study or research or other academic pursuit solely for the object of increasing their proficiency and usefulness to the University. This leave shall not be granted to a Professor who has less than three years of service in the University before the age of superannuation.

(ii) The duration of Sabbatical Leave shall not exceed one or two semesters according as the Professor has actually worked in the University for not less than six or twelve semesters respectively since his return from the earlier spell of Sabbatical Leave. Provided further that Sabbatical Leave shall not be granted until after the expiry of six semesters from the date of the Professor's return from previous Sabbatical Leave or any other kind of training programme.

2. In reckoning the service in the Professor's grade for this purpose, six years' service rendered without any break will be taken into account i.e. it should not be intervened by any absence for a period exceeding three months of the University session (excluding vacation). For any absence for a period exceeding three months, service for an additional period of equal duration will have to be rendered for the completion of six years' service, for the purpose of sabbatical leave.

3. Sabbatical leave shall be granted for a period of twelve months including vacations. Vacations will not be allowed to be prefixed or suffixed with Sabbatical Leave.

4. Sabbatical leave may be availed of, only twice, of one year each only during the entire period of service of a Professor in the University. Provided, he has rendered approved service of not less than six years before each spell of Sabbatical Leave.

5. During the period of Sabbatical Leave the Professor shall be allowed to draw the normal increments on the due date and the period of leave shall also count as regular service for purposes of retirement benefits provided that the Professor rejoins the University on the expiry of his leave.

Note : (i) The programme to be followed during Sabbatical Leave shall be submitted for approval (by the Vice-Chancellor) along with the application for grant of leave.

(ii) On return from leave the teacher shall report to the University the nature of study, research or writing work undertaken during the period of leave.

6. A professor shall, during the period of Sabbatical Leave, be paid fully pay and allowances (subject to the prescribed conditions being fulfilled) at the rates applicable to him immediately prior to his proceeding on Sabbatical Leave. The University shall not, however, fill up his post.

7. A Professor on Sabbatical Leave shall not take up, during the period of that leave, any regular appointment under another organisation in India or abroad.

(K) *MATERNITY LEAVE*

(i) Maternity leave on full pay may be granted to a woman teacher for a period which may extend upto the end of three months from the date of commencement of leave or to end of six weeks from the date of confinement whichever is earlier. Maternity leave may also be granted in case of miscarriage including abortion, accidental or voluntary, subject to the condition that the leave applied for does not exceed six weeks and the application for leave is supported by a medical certificate.

(ii) Maternity leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave but any leave applied for in continuation of maternity leave may be granted if the request is supported by a medical certificate.

(L) *QUARANTINE LEAVE*

(i) Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated in consequence of the presence of an infectious disease in the family or household of a teacher.

(ii) Quarantine leave may be granted on medical certificate for a period not exceeding 21 days. In exceptional cases this limit may be raised to thirty days. Any leave necessary for quarantine purposes in excess of this period shall be treated as ordinary leave. Quarantine leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.

(iii) A teacher on quarantine leave is not treated as absent from duty and his pay is not affected.

(M) *VACATION*

(i) Vacation may be taken in combination with any kind of leave except casual and special casual leave and special academic leave provided that vacation shall not be both prefixed and suffixed to leave.

(ii) Except in special circumstances vacation and earned leave taken together shall not extend beyond six-months.

(iii) when a vacation falls between two periods of leaves so as to result in a continuous period of absence from duty during the entire period such vacation shall be treated as part of the leave.

(iv) For the vacation period, a teacher shall be entitled to the same pay as when on duty. A teacher will, however, be entitled only to half of such pay if he has given notice of resignation and the period of such notice expires during the vacation or within one month from last day thereof.

PART II

Teachers Appointed on probation

A teacher appointed as a probationer against a substantive vacancy and with definite terms of probation shall during the period of probation be granted leave which would be admissible to him on the assumption that he holds his post substantively otherwise than on probation. If for any reason it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave granted to him should not extend beyond the date on which the probationary period expires or any earlier date on which his services are terminated by the orders of he Syndicate. On the other hand, a teacher appointed 'on probation' to a post, not substantively vacant to assess his suitability to the post shall until he is substantively confirmed, be treated as a temporary teacher for purposes of grant of leave. If a person in the permanent service of he University is appointed on probation to a higher post he shall not, during probation be deprived of the benefit of leave Rules applicable to his permanent post.

PART III

Temporary Teachers

Temporary teacher shall be governed by the provision of (Part I of these Rules subject to the following conditions and exceptions :

(1) *Earned Leave*

(a) A temporary teacher shall be entitled to earned leave as a permanent teacher except that in respect of the first year of his service he shall be entitled to earned leave as follows :

(i) 1/60th of the period of actual service plus;

(ii) 1/3rd of the period, if any during which he is required to perform duty during vacation.

(b) A temporary teacher appointed without interruption of duty substantively to a permanent post will be credited with the earned leave which would have been admissible if his previous duty had been in permanent employ, diminished by any earned leave already taken. Leave is not interruption of duty for the purpose of this regulation.

(2) *Half Pay leave*

No half pay leave may be granted to a temporary teacher unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the teacher will return to duty on the expiry of such leave.

(3) *Commuted Leave*

Temporary teacher shall not be entitled to commute any portion of the half pay leave.

(4) *Extraordinary Leave*

In the case of temporary teacher the duration of extraordinary leave on any occasion shall not exceed the following limits :—

(a) Three months at a time;

(b) Six months in cases where the teacher has completed three years continuous service and the leave application is supported by a medical certificate;

(c) Eighteen months where the teacher is undergoing treatment in a recognised hospital for tuberculosis, cancer or leprosy;

(d) (i) 24 months in cases where the leave is required for prosecuting the studies certified to be in the University interest provided that the teacher has completed three years continuous service on the date of commencement of extraordinary leave. In cases, where this condition is not satisfied, extraordinary leave to this extent may be sanctioned in continuation of any other kind of leave due and applied for (including three months extraordinary leave under (a) above) if the teacher completes three years continuous service on the date of expiry of such leave.

(ii) When a temporary teacher fails to resume duty on the expiry of the maximum period of extraordinary leave granted to him or where a teacher who is granted aclesser amount of leave remains absent from duty for any period which together with the extraordinary leave granted exceeds the limit up to which he could have been granted such leave under (i) above he shall unless the Syndicate, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be deemed to have resigned his appointment and shall accordingly cease to be in the University employ.

(5) *Leave not due, Study Leave & Sabbatical leave*

Temporary teachers shall not be entitled for the grant of leave not due, study leave and sabbatical leave.

(6) *Vacation*

(i) A teacher who is appointed as a temporary measure shall be entitled to pay for the following summer vacation only if he has worked during the full academic year.

(ii) In other cases, the vacation salary may be paid to the teacher, if that temporary appointment continues for a part or whole of the next academic year and the teacher joins on the opening day and has also served on the last working day before the vacation.

Part IV

Teachers appointed on contract

The teachers appointed on contract will be granted leave in accordance with the terms of the contract.

Part V

Honorary and Part-time teachers

Honorary and part-time teachers of the University shall be entitled to leave on the same terms as are applicable to whole-time teachers of the University.

Chandigarh-160 014 A. C. BANKA

Dated : February 12, 1986 Dy. Registrar (General)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University, this day the February 12, 1986.

H. L. SHARMA
Registrar

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986